कानपुर नगर निगम

नगर निगम (सदन) की दिनांक 29-07-2015 की स्थगित बैठक जो दिनांक 21-11-2015 को सम्पन्न हुई, का कार्य-वृत्त

पूर्वान्ह 11.00

स्थानः नगर निगम सदन सभागार, मोतीझील, कानपुर

कार्यालय सचिव नगर निगम,
नगर निगम, कानपुर

पत्र संख्याः डी/।90/सचिव (न.नि.)/15–16 दिनांक : 19-12-2015

सेवामें

श्री/श्रीमती/सुश्री..,

मा0 पार्षद वार्ड सं0........./ मा0नाम निर्दिष्ट/ मा0 पदेन सदस्य,
नगर निगम, कानपुर।

महोदय/महोदया,

नगर निगम (सदन) की दिनांक 29.07.15 को स्थगित हुई बैठक, जो दिनांक 21.11.15 को सम्पन्न हुई का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 1 से 75 तक।

(राम बली पाल)
सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपिः
1.नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2.अपर नगर आयुक्त प्रथम/द्वितीय को सूचनार्थ।
3.समस्त विभागाध्यक्ष/विभागाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

दिनांक–21-11-2015 दिन शनिवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे मोतीझील परिसर स्थित नगर निगम सभागार में सम्पन्न हुई सदन की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति

श्री जगत वीर सिंह द्रोण	**महापौर/अध्यक्ष**	श्रीमती शशि सुरेन्द्र जायसवाल	पार्षद/सदस्य
श्री मदन लाल	पार्षद/सदस्य	श्री राजेन्द्र प्रसाद कटियार	पार्षद/सदस्य
श्रीमती लाली गुप्ता	पार्षद/सदस्य	श्री आदित्य शुक्ला	पार्षद/सदस्य
श्री ओमप्रकाश वाल्मीकि	पार्षद/सदस्य	श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय	पार्षद/सदस्य
श्रीमती रीना साहू	पार्षद/सदस्य	श्रीमती उत्तम	पार्षद/सदस्य
श्री बीरबल सिंह	पार्षद/सदस्य	श्री राम कुमार पाल	पार्षद/सदस्य
श्रीमती चित्ररेखा पाण्डेय	पार्षद/सदस्य	श्रीमती रश्मि शाह	पार्षद/सदस्य
श्रीमती बीना	पार्षद/सदस्य	श्री आबिद अली	पार्षद/सदस्य
श्री महेन्द्र पाण्डेय ''पप्पू''	पार्षद/सदस्य	श्रीमती आशा तिवारी	पार्षद/सदस्य
श्री संजीत सिंह कुशवाहा	पार्षद/सदस्य	श्री आशुतोष त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य
श्री अतुल त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य	श्री अशोक चन्द्र तिवारी	पार्षद/सदस्य
श्रीमती लक्ष्मी कनौजिया	पार्षद/सदस्य	श्रीमती पूनम राजपूत	पार्षद/सदस्य
श्री सुमित कुमार सरोज	पार्षद/सदस्य	श्री राज किशोर	पार्षद/सदस्य
सुश्री नमिता कनौजिया	पार्षद/सदस्य	श्री विप्लव भट्टाचार्य	पार्षद/सदस्य
श्रीमती विजय लक्ष्मी	पार्षद/सदस्य	श्री लक्ष्मी शंकर राजपूत	पार्षद/सदस्य
श्रीमती गीता देवी	पार्षद/सदस्य	श्री कमल शुक्ल ''बेबी''	पार्षद/सदस्य
श्रीमती पुष्पा देवी	पार्षद/सदस्य	श्री अब्दुल कलाम	पार्षद/सदस्य
श्री बाबूराम सोनकर	पार्षद/सदस्य	श्री आलोक दुबे	पार्षद/सदस्य
श्री संजय लाल बाथम	पार्षद/सदस्य	श्रीमती सोनी पाल	पार्षद/सदस्य
श्री हरिश्चन्द्र	पार्षद/सदस्य	श्रीमती गीता जायसवाल	पार्षद/सदस्य
श्री योगेन्द्र कुमार	पार्षद/सदस्य	श्री रामौतार प्रजापति	पार्षद/सदस्य
श्री सुनील कुमार कनौजिया	पार्षद/सदस्य	श्रीमती सन्नों कुशवाहा	पार्षद/सदस्य
श्री गिरीश चन्द्र	पार्षद/सदस्य	डा0 नीना अवस्थी	पार्षद/सदस्य

श्री सुरजीत सचान	पार्षद/सदस्य
श्री राजेश कुमार सिंह	पार्षद/सदस्य
श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य
श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला	पार्षद/सदस्य
श्री मो0 शमीम आजाद	पार्षद/सदस्य
श्रीमती आशा तिवारी	पार्षद/सदस्य
श्री योगेन्द्र कुमार कुशवाहा 'योगी'	पार्षद/सदस्य
श्री आदर्श	पार्षद/सदस्य
श्री कैलाश पाण्डेय	पार्षद/सदस्य
श्री मनोज यादव	पार्षद/सदस्य
श्री राकेश साहू	पार्षद/सदस्य
श्री नवीन पण्डित	पार्षद/सदस्य
श्री मनीष शर्मा	पार्षद/सदस्य
श्रीमती नीलम चौरसिया	पार्षद/सदस्य
श्रीमती पूनम द्विवेदी	पार्षद/सदस्य
श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	पार्षद/सदस्य
श्री संदीप जायसवाल	पार्षद/सदस्य
श्री जितेन्द्र कुमार सचान	पार्षद/सदस्य
श्रीमती आशा सिंह	पार्षद/सदस्य
श्रीमती परमजीत कौर	पार्षद/सदस्य
श्री सारिया	पार्षद/सदस्य
श्रीमती जरीना खातून	पार्षद/सदस्य
श्री कमलेश	पार्षद/सदस्य
श्रीमती रानू बाजपेई	पार्षद/सदस्य
श्री सत्येन्द्र मिश्रा	पार्षद/सदस्य
श्रीमती रीता शास्त्री	पार्षद/सदस्य
श्रीमती राज किशोरी पाण्डेय	पार्षद/सदस्य
श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा	पार्षद/सदस्य
श्री अब्दुल जब्बार	पार्षद/सदस्य
श्रीमती जानकी वर्मा	पार्षद/सदस्य
श्री अमित कुमार मेहरोत्रा 'बबलू'	पार्षद/सदस्य
श्री आमोद	पार्षद/सदस्य
श्री अशोक कुमार दीक्षित	पार्षद/सदस्य
श्री हाजी सुहैल अहमद	पार्षद/सदस्य
श्री कैलाश नाथ पाण्डेय	पार्षद/सदस्य
श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू'	पार्षद/सदस्य
मो0 इरफान खान	पार्षद/सदस्य

<u>नाम निर्दिष्ट सदस्य</u>

श्री शैलेन्द्र मिश्रा
श्री अब्दुल वासिद
श्री शशीभाल शुक्ला
श्री चन्द शेखर यादव
श्री मो0 आकिल सिद्दकी

<u>पदेन सदस्य</u>

श्री सतीश कुमार निगम	स0वि0स0
श्री इरफान सोलंकी	स0वि0स0
श्री सलिल विश्नोई	स0वि0स0
श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया	स0वि0स0
श्री अरूण कुमार पाठक	स0वि0परिषद

<u>अधिकारीगण</u>

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा	नगर आयुक्त
श्री विनोद कुमार गुप्ता	अपर नगर आयुक्त
श्री राकेश कुमार गुप्ता	अपर नगर आयुक्त
श्री पंकज श्रीवास्तव	नगर स्वास्थ्य अधिकारी

ह0.....महापौर

श्री तरूण कुमार शर्मा	मुख्य अभियन्ता	श्री राघवेन्द्र	सचिव, जलकल विभाग
श्री आर.एम. अस्थाना	मुख्य अभियन्ता वि./याँ		
श्री जवाहर राम	महाप्रबन्धक जलकल		

राष्ट्रीय गीत (वन्देमातरम्) गायन के पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

सर्वप्रथम अध्यक्ष ने नगर आयुक्त से कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये।

नगर आयुक्त ने कार्यसूची के बिन्दु 01 में स्मार्ट सिटी के सम्बन्ध में उल्लिखित प्रस्ताव के विषय में सदस्यों को अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा 98 शहरों के क्लब में कानपुर नगर को सम्मिलित किया गया है, तद्नुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार 20 शहरों को चयनित किया जाना है। तत्क्रम में सदन के समक्ष प्रस्ताव स्वीकृतर्थ प्रस्तुत है।

श्री हाजी सुहेल अहमद में सर्वप्रथम कहा कि नवागन्तुक नगर आयुक्त का पहला सदन है, पहले सदन की बैठक है, अतः नगर आयुक्त द्वारा सदन को अपना परिचय दिया जाये। तद्नुसार नगर आयुक्त ने अपना परिचय दिया।

श्री राजेन्द्र कटियार ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कारण कोई भी अधिकारी अपने कार्यालय कक्ष में उपलब्ध नही होता है, परिणाम स्वरूप कानपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं का निस्तारण नही हो पा रहा है।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि मैं श्री कटियार की बात से सहमत हूँ कि कोई भी अधिकारी नागरिक समस्याओं की तरफ ध्यान नही दे रहा है, जिससे शहर में गन्दगी व अन्य समस्यायें उत्पन्न हो गई है। अतः सर्वप्रथम नागरिक समस्याओं पर चर्चा कर ली जाये, तत्पश्चात् ही कार्यसूची के बिन्दुओं पर विचार किया जाये।

श्री कमल शुक्ल ''बेबी'' ने कहा कि सदन की बैठक का कोई अस्तित्व नही समझ में आ रहा है, क्योंकि सदन की बैठकों में लिये गये निर्णयों पर केवल आश्वासन मिलता है, परन्तु उसका अनुपालन नही किया जाता है। अतः सर्वप्रथम समस्याओं पर चर्चा कर ली जाये।

श्री जितेन्द्र सचान ने कहा कि दक्षिण क्षेत्र के साथ सदैव से सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है, अतः समस्याओं पर चर्चा कर ली जाये। इसी प्रकार सभी सदस्यों द्वारा सदन सभागार में शोरगुल प्रारम्भ कर दिया गया कि सर्वप्रथम नागरिक समस्याओं पर सदन सभागार में चर्चा होने के पश्चात् ही कार्यसूची के बिन्दुओं पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष ने शोरगुल एवं अव्यवस्था के कारण बैठक की कार्यवाही 30 मिनट के लिये स्थगित कर दी।

.....

पूर्वान्ह 11:50 बजे बैठक की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष ने सदस्यों को अवगत कराया कि पूर्व दिनांक–29.07.2015 की आहूत बैठक मरहूम पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के निधन के कारण स्थगित की गई थी, अतः सर्वप्रथम कार्यसूची के बिन्दुओं पर चर्चा कर ली जाये, क्योंकि स्मार्ट सिटी जैसा महत्वपूर्ण प्रस्ताव लगा है, जो कानपुर नगर को उत्कृष्टता प्रदान करने में सहायक होगा। कार्यसूची के बिन्दुओं के पश्चात् मैं सभी सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को बारी–बारी से उठाते हुये जितने समय तक चाहे चर्चा कर सकते है। साथ ही सभी सदस्यों से यह अपेक्षा करता हूँ कि सदन की गरिमा बनाये रखने हेतु शांति का सहयोग प्रदान करेंगे अन्यथा सदन सभागार में घटित घटनाक्रम विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से कल नागरिकों के सामने प्रस्तुत होगा।

<u>प्रस्ताव संख्या–156–</u> नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी/59/पर्या.अभि./प्रो.सेल/2015–16 दिनांक 23 जुलाई, 2015 के द्वारा मा. नगर निगम सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत हैं ।

कानपुर नगर को स्मार्ट सिटी बनाये जाने हेतु मा. नगर निगम सदन के संकल्प के सम्बन्ध में

:– <u>प्रस्ताव</u> –:

भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की स्मार्ट सिटी योजना अन्तर्गत देश के 100 नगरों में उत्तर प्रदेश के 13 नगरों का चयन किया जाना है। इनमें कानपुर नगर का नाम भी प्रस्तावित है। भारत सरकार द्वारा मौजूदा सेवा स्तर, संस्थागत <u>प्रणाली/क्षमता</u>, स्व–वित्तपोषण एवं पिछला कार्य निष्पादन रिकार्ड और सुधार विषयों पर दिये गये प्रारूप–2 को भरकर नगरीय निकाय निदेशालय को प्रेषित किया जा चुका है। इस प्रारूप के भाग–5 के क्रम में निर्वाचित नगर निगम का संकल्प पत्र इस संकल्प के साथ प्रस्तुत किया जाना है किः–

भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों एवं प्राविधानों के क्रम में कानपुर नगर को स्मार्ट सिटी बनाये जाने हेतु यह निर्वाचित नगर निगम सदन दृढ़ संकल्पित है एवं कानपुर नगर का चयन स्मार्ट सिटी हेतु किये जाने की प्रक्रिया में पूर्णरूप से अपनी सहमति प्रदान करता है।

ह0.....महापौर

अतः उक्त संकल्प मा. नगर निगम सदन के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

श्री कमल शुक्ल ''बेबी'' ने अध्यक्ष से पूछा कि स्मार्ट सिटी में पार्षदों की क्या भूमिका होगी ?

अध्यक्ष ने अवगत कराया कि सभी निर्वाचित पार्षदों एवं नगर के नागरिकों कि विस्तृत सहभागिता होगी, क्योंकि स्मार्ट सिटी के चयन हेतु सभी से सुझाव आमंत्रित किये जाने है।

श्री हाजी सुहैल ने कहा कि संज्ञान में आया है कि स्मार्ट सिटी के चयन के पश्चात् रू0 100.00 करोड़ की धनराशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी, जो समस्याओं के दृष्टिगत बहुत कम प्रतीत होती है।

नगर आयुक्त ने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष चयनित स्मार्ट सिटी के लिये रू0 200.00 करोड़ की धनराशि प्राविधानित की गई है।

श्री कमल शुक्ल ''बेबी'' ने आशंका व्यक्त की कि कही जे.एन.एन.यू.आर.एम. की तरह ही स्मार्ट सिटी योजना का हश्र न हो जाये। क्योंकि जे.एन.एन.यू.आर.एम. परियोजना में नोडल एजेन्सी होने के उपरान्त भी जल निगम पर कोई भी अंकुश नही लगा सका, परिणाम स्वरूप आज भी जल निगम जहाँ चाहता है बिना सूचना के सड़कें काट देता है। चाहे पेयजल लाईन डालने के लिये हो या सीवर लाईन, तो नगर निगम की भूमिका पर स्पष्ट रूप से विचार कर लिया जाये।

श्री सतीश कुमार निगम विधायक ने कहा कि नगर आयुक्त की विचार धारा से मैं सहमत हूँ कि कानपुर नगर का विकास होना चाहिये, चाहे केन्द्र सरकार के माध्यम से हो या उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से। लोकतंत्र के दृष्टिगत क्षेत्र की पहली कड़ी पार्षद होता है, अतः उसके सुझाव एवं सहमति को प्राथमिकता मिलनी चाहिये, साथ ही उसकी सहभागिता का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये। सदन के सदस्यों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मा0 मुख्यमंत्री शहर के विकास के प्रति स्वयं संजीदा है। स्मार्ट सिटी के माध्यम से शहर के विकास किये जाने के प्रति मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि कराये जाने वाले विकास कार्यो पर मानक एवं गुणवत्ता पर पैनी नजर रखी जाये। बारादेवी जहाँ मेरा निवास है, वहाँ पर आज भी सीवर लाईन नही है, जिससे नागरिकों को शौच इत्यादि खुले में या सेप्टी टैंक बनवाकर शौचनिवृत्त होना पड़ता है। अतः यहाँ की भी समस्या का समुचित समाधान किया जाये। श्रीमती आशा सिंह द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि दो–दो हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जाने का पूर्व के सदन में निर्णय लिया गया था, जिसका अनुपालन नही हुआ है। अतः सुझाव

ह0.....महापौर

है कि सदन में पारित निर्णयों का अनुपालन होना चाहिये। अतः प्रत्येक वार्ड में 05–05 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जाये। सभी सदस्यों से भी सुझाव है कि मर्यादित ढंग से चर्चा की जाये। नगर आयुक्त के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि शीत ऋतु आ रही है। अतः अभी से चौराहों पर अलाव जलाने हेतु लकड़ी की व्यवस्था कर ली जाये, जिससे ठंड से लोगों को बचाया जा सके ताकि ठंड के कारण किसी की मृत्यु न हो।

श्री सलिल विश्नोई विधायक ने आभार व्यक्त करते हुये कहा कि आपकी अध्यक्षता में नगर निगम के अथक प्रयास से शहर स्मार्ट सिटी क्लब में सम्मिलित हो सका है। 50 लाख की आबादी वाला शहर औद्योगिक एवं शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की भी अनुकम्पा हुई है। यदि यह सुअवसर मिला है तो सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जाये। पिछले 05 वर्षो में जे.एन.एन.यू.आर.एम. परियोजना के अन्तर्गत अरबों की धनराशि खर्च हुई परन्तु अधिकतर सीवर लाईनें चोंक है, उनका संयोजन नही किया जा सका है और न ही पानी की लाईनों से जलापूर्ति सुनिश्चित हुई है। ऐसी स्थिति न आने पावे इसके लिये सतर्कता बरती जानी चाहिये। सभी पार्षदों के प्रस्तावों एवं सुझावों पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ कि लक्ष्मीपुरवा में सीवर लाईन न होने के कारण मैने अपनी विधायक निधि से सीवर लाईन डलवाई है। कानपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में नगर निगम की स्वयं की बेसकीमती जमीन पड़ी है, उसे स्वयं नही मालूम कि मेरी जमीन कहाँ–कहाँ है, नजूल की भूमि भी पड़ी है, उस पर भी कार्यवाही की जानी चाहिये। रिक्त पड़ी भूमि का सदुपयोग किया जाना चाहियें अन्यथा क्षेत्रीय जनता उस पर अतिक्रमण करते हुये अराजकता एवं नगर निगम के राजस्व को क्षति पहुँचा रही है। विकास कार्यो की गुणवत्ता पर अभियन्त्रण विभाग द्वारा विशेष ध्यान दिया जाये। श्री सतीश निगम द्वारा जो 05–05 हैण्डपम्प की माँग की गई है, तत्सम्बन्ध में संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि कानपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 5000 हैण्डपम्प ढूढ खड़े है। यदि इन्ही को रिबोर करा दिया जाये, तो स्वयमेव ही पानी की समस्या का समाधान हो जायेगा। इसके सम्बन्ध में मेरे द्वारा पूर्व की सदन की बैठकों में भी कहा जा चुका है।

श्री अरूण पाठक विधायक ने कहा कि शहर स्मार्ट सिटी चयनित होने पर शहर के नागरिकों का भी उत्तरदायित्व रहता है। यू कहा जाये कि आलीशान महलों में रहने वालें यदि तहजीब नही रखते है तो झोपड़ी में रहने वाला अच्छा है। सभी नागरिकों को यातायात एवं सफाई के प्रति मन से भी स्मार्ट होना पड़ेगा। दीनदयाल योजना के अन्तर्गत रू0 3000 करोड़ की धनराशि भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। उस पर भी क्रियान्वयन किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन एवं अमृत योजना के अन्तर्गत भी धनराशि अवमुक्त

की गई है, इन सभी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिये शासन, प्रशासन, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों की विशेष भूमिका होनी चाहिये तभी स्मार्ट सिटी परिलक्षित होगी।

---------- **स्मार्ट सिटी के प्रति संकल्प पारित करते हुये स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>प्रस्ताव संख्या–157–</u> कानपुर नगर निगम विज्ञापन पर कर का निर्धारण व वसूली नियमावली–2014 के सम्बन्ध में मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृत हेतु प्रस्ताव

माननीय कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 25.03.2015 के प्रस्ताव सं० 929 जो विज्ञापन पर कर का निर्धारण व वसूली नियमावली 2014 को नगर निगम कानपुर में प्रभावी करने हेतु स्वीकृत उपरान्त मा० सदन को अग्रसारित किया गया हैं के अनुपालन में मा० सदन की बैठक दिनांक 01.05.2015 को प्रस्ताव सं० 153 के सम्बन्ध में चर्चा के समय मा० उपसभापति कार्यकारिणी यह कह कर उपरोक्त प्रस्ताव निरस्त किया गया कि दिनांक 25.03.2015 को सम्पन्न हुई मा० कार्यकारिणी की बैठक के समय उपसभापति द्वारा दिए गए प्रस्ताव का उल्लेख सदन के एजेण्डे में संलग्न नही हैं, जिसके फलस्वरूप सदन की बैठक 01.05.2015 में प्रस्तुत प्रस्ताव सं० 153 को निरस्त कर दिया गया। उपरोक्त के सम्बन्ध में मा० महापौर तथा नगर आयुक्त महोदय के निर्देशो के क्रम में नगर निगम हित को ध्यान में रखते हुए दिनांक 21.05.2015 को प्रस्तावित विज्ञापन नियमावली–2014 में इंगित विसंगतियो के सम्बन्ध में मा० कार्यकारिणी समिति द्वारा विज्ञापन कर का निर्धारण व वसूली नियमावली–2014 के लिए गठित समिति के सदस्यों के साथ चर्चा की गई जिसमें समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 03.03.2015 को सम्पन्न हुई बैठक में दिये गये समस्त सुझावों पर विचार विमर्श किया गया तथा एक मत होकर प्रस्तावित विज्ञापन कर नियमावली –2014 में तीन संशोधनों पर सहमत व्यक्त की गयी एवं अन्य सुझाव जो कि नियमानुसार नियमावली 2014 में सम्मिलित नही हो सकते थें पर यह निर्णय लिया गया कि इन सुझावों पर नीतिगत निर्णय मा0 सदन से पारित होकर प्रशासनिक क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।सम्बन्धित सहमत दिनांक 21.05.2015 संलग्न है।

उपस्थित उक्त तीनों सदस्योंद्वारा यह भी मत व्यक्त किया गया कि चयन स्थल के उपरान्त निविदा आमंत्रण के प्रकाशन सूचनायें वार्ड का नम्बर,स्थल का विवरण एवं संख्या विज्ञापन पटों की संख्या को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

विज्ञापन नियमावली में सम्मिलित होने वाले विन्दुः–

01.नियमावली में स्थल चयन हेतु गठित समिति में क्षेत्रीय पार्षद के रूप में सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत नियमावली में आंशिक संशोधन

किए जाने की सहमति व्यक्त की गई।

02. उपस्थित सदस्यों द्वारा नियमावली 2014 में स्वीकृत विज्ञापन पट/यूनीपोल /गैन्ट्री/कैन्टीलीवर के लिए जोनवार अलग–अलग रंग निर्धारित करके नगर निगम स्तर से चिन्हांकन की व्यवस्था किए जाने की सहमति व्यक्त की गई।

03 प्रतिबन्धित क्षेत्र में डिवाइडर जो हाइटेंशन लाइन के नीचे, पार्क, ग्रीन बेल्ट आदि स्थानों पर बैनर क्यास्क, यूनीपोल, विज्ञापनपट को निर्बन्धित करते हुए मोतीझील परिसर मे धार्मिक कार्यो को छोड़कर प्रतिबन्धित क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किए जाने की सहमति व्यक्त की गई।

शेष दिए गए सुझाव सं० 06 में दो समाचार पत्रों ''दैनिक जागरण व अमर उजाला'' के स्थान पर ''किन्ही दो प्रमुख समाचार पत्रों'' एवं दिए गए सुझावों पर नीतिगत निर्णय लेकर प्रशासनिक क्रियान्वयन की सहमति व्यक्त की गई है।

उपरोक्तानुसार नियमावली के आवश्यक संशोधन करते हुए दिए गए अन्य सुझाओं पर नीतिगत निर्णय लेकर प्रसाशनिक क्रियान्वयन की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए तथा संशोधनों के साथ नियमावली को स्वीकार करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की जाए। जिससे हम सभी सदस्य सहमत हैं।

उपरोक्त के अनुपालन में नगर निगम कानपुर (विज्ञापन पर कर का निर्धारण व वसूली नियमावली 2014 में) यथोचित संसोधन करते हुए मा० सदन के समक्ष संसोधित नियमावली विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

कानपुर नगर निगम

संशोधित प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0–2 सन् 1959) की धारा 172 की उपघारा (2) के खण्ड (ज), धारा 192, 193, 194, 195, 196, 219, 305, 306, 540 की उपधारा (1),541(48) एवं 550 में दिये गये प्राविधानो के अर्न्तगत तैयार की गयी कानपुर नगर निगम (विज्ञापन पर कर का निर्धारण व वसूली नियमावली, 2014) के सम्बन्ध में कार्यकारिणी समिति द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति की बैठक दिनांक 03.03.2015 में दिये गये सुझावो को कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 25.03.2015 को **प्रस्ताव संख्या 929** के माध्यम से मा0 कार्यकारिणी

समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया जिस पर मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत प्रदान करने हेतु सदन को अग्रसारित किया गया।जिसे मा0 सदन की बैठक दिनांक 01.05.2015 के प्रस्ताव संख्या 153 द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत किया गया किन्तु चर्चा के समय अधूरा प्रस्ताव होने का उल्लेख करते हुये सदन द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया। मा0 महापौर के निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 21.05.2015 को मा0कार्यकारिणी समिति द्वारा गठित समिति के सदस्यों की बैठक उपरान्त लिये गये निर्णयों के अनुपालन में विज्ञापन पर कर का निर्धारण व वसूली नियमावली में यथा सम्भव समावेश कर माननीय सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

कानपुर नगर निगम (विज्ञापन पर कर का निर्धारण व वसूली नियमावली, 2014)

1–संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1 (1) यह नियमावली कानपुर नगर निगम (विज्ञापन पर कर निर्धारण व वसूली नियमावली, 2014 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार कानपुर नगर निगम के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनाँक से प्रवृत्त होगी।

2–परिभाषाएं **2(I)** (1) जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(1) ''अधिनियम'' का तात्पर्य **उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम–1959** से है।

(2) ''विज्ञापनकर्ता'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे इस नियमावली के अधीन कोई विज्ञापन या विज्ञापनपट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, सुनाने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो, और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है।

(3) ''विज्ञापन प्रतीक'' का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजन के लिए या तत्संबंध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति, लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिए किसी सतह या संरचना या ध्वनि से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टान्त अनुप्रयुज्य हों जो द्वार के भीतर या बाहर, किसी भी रीति, से संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो, या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापनपट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो,

(4) ''विज्ञापन'' का तात्पर्य विज्ञापन प्रतीक के माध्यम से विज्ञापन करने तथा अधिनियम की धारा–2 की उपधारा (1), धारा–172 की उपधारा

(2) के खण्ड (ज) औरा धारा–192 में यथापरिभाषित विज्ञापन से हैं,

(5) ''गुब्बारा'' का तात्पर्य गैस से भरे हुए ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी फरहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो,

(6) ''बैनर'' का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य वस्तु से है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते हैं,

(7) ''बैनर प्रतीक'' का तात्पर्य किसी प्रतीक से है जो अपने संप्रदर्शन की सतह के रुप में किसी झण्डी का उपयोग कर रहा हो,

(8) ''समिति'' का तात्पर्य नियम–3 के अधीन गठित स्थल चयन समिति से हैं,

(9) ''निगम'' का तात्पर्य कानपुर नगर निगम से है,

(10) ''विद्युतीय प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय साज–सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं,

(11)''गैन्ट्री प्रतीक'' का तात्पर्य सड़क के दोनों ओर लोहे का मजबूत पिलर गाड़कर उसके ऊपर न्यूनतम निर्दिष्ट ऊँचाई पर आयताकार विज्ञापन प्रतीक से हैं,

(12) डिजिटल स्क्रीन का तात्पर्य यह है कि ऐसे विज्ञापन पट जिसमें एक या उससे अधिक विज्ञापन प्रदर्शित किये जाते हों।

(13) ''भू विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो, और जो भूमि पर या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाड़ा या विज्ञापनपट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिए दृश्य हो,

(14) ''प्रदीप्त प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो,जिसमें स्थानीय टी0वी0चैनल /छविगृहों में प्रदर्शित किये जाने वाला व्यवसायिक(Commercial) विज्ञापन में शामिल है।

(15) ''शमियाना विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शमियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो,तथा जो भवन की दीवार एवं भवन सीमा रेखा से बाहर की ओर हो और अस्थायी रूप सेसंप्रदर्शित किया गया हो,

(16) ''प्रक्षेपित प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो,

(17)'मार्ग अधिकार'' का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है,

(18) ''छत विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर परिनिर्मित हो या रखा गया हो जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित,है।

(19) ''अनुसूची'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है,

(20) बस सायबानों (शेल्टर) पर विज्ञापन'' का तात्पर्य किसी बस संचालन के अधीन बस सायवान के ऊपर अथवा भीतर की ओर से प्रकाशित किये गये,टागे गये,अथवा चित्रित किये गये विज्ञापन प्रतीक से है,

(21) पुष्प पात्र (फ्लावर पॉट) स्टैण्ड विज्ञापन ''का तात्पर्य शहर के अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अन्तिम छोर पर पर्यावरण की दृष्टिकोण से अनुकूल मौसमी पौधे लगाने के पश्चात फलावर पॉट स्टैण्ड पर अनुमन्य/विहित आकार का विज्ञापन पट लगाये जाने से है,

(22) जनसुविधा स्थान पर विज्ञापन ''का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी जनसुविधा स्थान के ऊपर /पास अथवा उसके भीतर किसी भी रीति से लगाये गये विज्ञापन से है,

(23) ट्रैफिक /पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड पर विज्ञापन''का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किस ट्रैफिक /पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड के ऊपर अथवा उसके चारों ओर लगाया/लटकाया/चित्रित किया जाए,

'(24) 'प्रतीक संरचना'' का तात्पर्य किसी ऐसी सरंचना से है जिससे को प्रतीक अवलम्बित हो,

'(25) कर'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा–172 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) में निर्दिष्ट विज्ञापन कर से है,

(26) 'अस्थायी विज्ञापन'' का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिए वाँछित किसी विज्ञापन, झण्डा या वस्त्र, कैनवैश, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढाँचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है,

(27) ट्री गार्ड विज्ञापन''का तात्पर्य अनुमन्य डिवाइडरो पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अतिंम छोर पर पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल पौधे लगाने के पश्चात ट्री गार्ड पर अनुमन्य/विहित आकार के संप्रदर्शित विज्ञापन प्रतीक से है,

(28) ''बरांडा प्रतीक'' का तात्पर्य किसी बरांडा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या उससे टाँगे गये किसी विज्ञापन से है,

(29) ''दीवार प्रतीक'' का तात्पर्य किसी क्षेपण प्रतीक से भिन्न ऐसे किसी विज्ञापन से है जो किसी भवन की बाह्य सतह या उसके संरचनात्मक भाग से सीधे सम्बद्ध हो या उस पर चित्रित किया गया या चिपकाया गया हो,

(30) ''मैदान'' का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार की खुली भूमि (Open Ground), पार्क (Park) अथवा खेल के मैदान (Play Ground) से है।,

2(II) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदो के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हों।

3–स्थल चयन के लिए समिति का गठन

(1) नगर आयुक्त अथवा अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन या विज्ञापन पट के लिए उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिए और उसके आकार, ऊँचाई, और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने एवं प्रतिबन्धित स्थलों के चयन के लिए एक समिति का गठन किया जायेगा।

(2) समिति में निम्नलिखित होंगे :–

(1) नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त	अध्यक्ष
(2)सचिव कानपुर/संयुक्तसचिव,विकास प्राधिकरण	सदस्य
(3) परियोजना निदेशक,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग(जहॉ स्थल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सम्बन्धित हो)	सदस्य
(4) अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (जहॉ स्थल लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित हो),	सदस्य
(5) नगर मे यातायात का प्रभारी राजपत्रित अधिकारी (यातायात पुलिस विभाग)	सदस्य
(6) क्षेत्रीय प्रबन्धक,उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम(जहॉ स्थल बस शेल्टर के आवंटन से सम्बन्धित हो),	सदस्य
(7) मुख्य अभियन्ता, नगर निगम	सदस्य
(8) निगम का यातायात अभियंता या कोई अधिकारी जो अधिशाषी अभियंता की श्रेणी से निम्न न हो।	सदस्य

(9) भारतीय रेल का एक प्रतिनिधि(जहॉ स्थल रेलवे से सम्बन्धित हो),	सदस्य
(10) प्रभारी अधिकारी(विज्ञापन)	सदस्य/सचिव
(11) सम्बन्धित जोन का जोनल अधिकारी	सदस्य

टिपप्णी – नगर आयुक्त,महापौर के परामर्श से किसी एक या एक से अधिक सदस्य को जैसा वह उचित समझे सहयोजित कर सकता है।

(3) समिति द्वारा परिलक्षित नवीन स्थलो पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिये नगर आयुक्त द्वारा कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार पत्रों के माध्यमं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेगे। विज्ञापन मे प्रत्येक प्रस्तावित स्थल के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम प्रीमियम विनिर्दिष्ट होनी चाहिए।

(4) स्थलों की पहचान और समिति की संस्तुति के पश्चात् ही विज्ञापनों और विज्ञापन पटों की अनुज्ञा दी जायेगी।

4–निषेध

(1) **नगर आयुक्त से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना :**

कोई व्यक्ति नगर निगम सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, रेलवे प्रशासन की ऐसी दीवाल या सम्पत्ति की सतह के किसी भाग के जो किसी सड़क के सामने पड़ती हो, उपरिगामी सेतु या समस्त संलग्न भूमि या ट्री गार्ड, नगर प्राचीर, बाउण्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा, न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा या न सुनायेगा।

(2) निगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी, अध्यासी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न सम्प्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटाकायेगा, न सुनायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने देगा, न प्रदर्शित, न सम्प्रदर्शित, न लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या न लटकाने देगा, न सुनवाने देगा, यदि ऐसा विज्ञापन किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो अथवा सार्वजनिक रुप से दृश्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट इस रीति से प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।

(4) कोई विज्ञापन पट, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के दाहिनी ओर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के वाहन मार्ग (carriage way), छोर से 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

(5) कोई विज्ञापन पट नियम के अधीन यथा विनिर्दिष्ठ मार्गों के सिवाय अन्य मार्गों के छोर के 10 मीटर के भीतर नहीं प्रतिष्ठापित की जायेगी।

5–विज्ञापनकर्ताओ का पंजीकरण एवं नवीनीकरण

(1) पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सियॉ ही विज्ञापन हेतु अनुमन्य होगी।

(2) विज्ञापनकर्ता/विज्ञापन एजेन्सी को 'अ''श्रेणी में पंजीकरण हेतु रू0 50.000.00(पचास हजार) पंजीकरण शुल्क एवं 2,00,000,00(दो लाख रूपये) धरोहर धनराशि,''ब'' श्रेणी में पंजीकरण हेतु रू0 30.000.00(तीस हजार) पंजीकरण शुल्क एवं 1,50,000,00(एक लाख पचास हजार रूपये)धरोहर धनराशि, ''स''श्रेणी में पंजीकरण हेतु रू0 20.000.00(बीस हजार) पंजीकरण शुल्क एवं 1,00,000,00(एक लाख रूपये)धरोहर धनराशि,''द'' श्रेणी में पंजीकरण हेतु रू0 15.000.00(पन्द्रह हजार) पंजीकरण शुल्क एवं 75,000,00(पछत्तर हजार रूपये))धरोहर धनराशि जमा करना होगा।

(3) पंजीकरण कराने हेतु प्रत्येक आवेदन अनुसूची–3 में विनिर्दिष्ट चिन्हित प्रपत्र में किया जायेगा जिसे रु0 500/–भुगतान करके नगर निगम कानपुर के विज्ञापन विभाग से प्राप्त किया जायेगा या निगम के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, तथापि आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(4) पंजीकरण का नवीनीकरण वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के साथ 07 दिन के भीतर करना अनिवार्य होगा। नवीनीकरण शुल्क ''ए'' श्रेणी हेतु रु0 30,000/–, ''बी'' श्रेणी हेतु रु0 20,000/– एवं ''सी'' श्रेणी हेतु रु0 10,000/– व ''द'' श्रेणी हेतु 5000/– होगा।

5(ब)–अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया

(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट चिन्हित प्रपत्र में किया जायेगा जिसे रु0 500/–भुगतान करके नगर निगम कानपुर के विज्ञापन विभाग से प्राप्त किया जायेगा। आवेदन–पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

ह0.....महापौर

(2) उपनियम–(1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के संम्बन्ध में विस्तृत सूचना निहित होगी, जहाँ ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित विज्ञापन या विज्ञापन पट पर निर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, सम्प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, उद्घोषित किया जाना वाँछित हो और उसमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी।

(क) प्रत्येक भू–विज्ञापन पट्ट की भूमितल से ऊँचाई, अवस्थिति, ढाँचे की बनावट आदि की विशिष्टियों को आवंटन समिति द्वारा तय किया जाएगा और उसी के अनुरूप आवश्यक अभिकल्प संगण आवेदन पत्र में प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) पूर्ववर्ती विज्ञापनों के अतिरिक्त छत–विज्ञापनों, प्रक्षिप्त विज्ञापनों या भू–विज्ञापनों के मामले में सहायक क्रिया विधियाँ और स्थिरक–स्थानों के समस्त घटक और यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित, हो तो आवश्यक अभिकल्प संगणनाएं आवेदन पत्र में प्रस्तुत की जायेंगी,

(ग) कोई अन्य विशिष्टियाँ, जो नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो,

(घ) गुब्बारा विज्ञापनों के मामले में नगर आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जाएगी।

(3) यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वाँछित हो तो ऐसे आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा–

(क) विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण,

(ख) नगर आयुक्त द्वारा सम्यक रुप से अनुमोदित संरचना अभियंता से सम्बन्धित भवन की सुदृढ़ता सम्बन्धी रिपोर्ट।

(ग) भू/भवन स्वामी की सहमति का अनुबन्ध– पत्र,

आवेदन, आवश्यक चित्रों और संरचना–संगणनाओं सहित नगर आयुक्त द्वारा सम्यक रुप से अनुमोदित संरचना अभियंता के माध्यम से किया जायेगा। अभिकल्प संगणनाओं में लिया गया वायुभार राष्ट्रीय भवन संहिता–2005 के भाग–4 ''संरचना अभिकल्प धारा–1 भार, बल और प्रभाव के भाग–4 अनुसार होगा।

(4) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी निजी भूमि या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना, चित्रित किया जाना या लटकाया जाना वाँछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन पत्र में ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुज्ञा/निष्पादित अनुबन्ध की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(5) उपनियम **(4)** में निर्दिष्ट भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को लिखित रूप में वचन देना होगा कि किसी व्यतिक्रम की स्थिति में वह

विज्ञापनकर्ता हेतु देय कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा। नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विज्ञापन पट्ट हटाने हेतु परिसर में प्रवेश का अधिकार होगा।

यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि पर विज्ञापन सम्प्रदर्शित करना चाहें तो उसे आवेदन पत्र के साथ विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी होगी और इस नियमावली के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी।

(6)

(7) यदि कोई व्यक्ति ट्री–गार्ड/फ्लावर पॉट को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्री–गार्डो/फ्लावर पॉट पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या सम्प्रदर्शित करता है तो वह इस नियमावली के अधीन कर भुगतान करने का दायी होगा।

(8) अनुज्ञा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये प्रदान की जायेगी जो नगर आयुक्त द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जायेगी।

(9) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित सम्पूर्ण प्रीमियम अथवा नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रथम किश्त की धनराशि संलग्न करनी होगी, परन्तु यह कि प्रीमियम की अवशेष धनराशि नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर जमा करना होगी।

6–क अनुज्ञा प्रदान करने की शर्तें

(1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने, उद्घोषित करने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी कि–

(क) अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो, परन्तु यह कि कर या प्रीमियम सहित कर, इस नियमावली के अनुसार संदत्त और जमा किया गया हो।

(ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट पट्ट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जायेगा, चिपकाया जाएगा, समुद्धृत किया जाएगा, चित्रित किया जाएगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाये और विज्ञापन पट्ट, चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो, की ऊँचाई 6,2 मीटर से अधिक नहीं होगी। दो सन्निकट विज्ञापन पटों के मध्य की दूरी 10 मीटर से कम नही होगी। यूनीपोल लगाए जाने की दशा में दो यूनीपोल के मध्य की दूरी 15 मीटर से कम नही होगी,

(ग) विज्ञापन या विज्ञापन पट को समुचित दशाओं में सम्पूर्ण अनुज्ञा अवधि में रखा एवं अनुरक्षित किया जायेगा,

(घ) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी,

(ड़) विज्ञापन या विज्ञापन पट की विषय वस्तु या उसका विवरण नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नही किया जाएगा,

(च) विज्ञापन कर्ता ऐसी अवधि जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देंगे या उसे मिटा

देंगे,

(छ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेगें, सम्प्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे,

(ज) मार्ग/फुटपाथ के लिए खुली छोड़ी गई भूमि पैदल चलने वालों, साइकिल वालों आदि के लिए सुरक्षित रूप में चलने के लिए उपलब्ध रहेगी,

(झ) भवनों, यदि कोई हो, जो प्रतीकों और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और वातायन किसी भी रूप में बाधित नही होंगे,

(ञ) लोकहित में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञापत्र को निलम्बित कर दे जिसके पश्चात् विज्ञापनकर्ता विज्ञापनों को हटा देगा,

(ट) विज्ञापनकर्ता को इस नियमावली और नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित विनियमावली का अनुपालन करना होगा,

(ठ) विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार के विज्ञापन हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक का प्रयोग निषिद्ध होगा,

(ड) भवन से सम्बन्धित विज्ञापन पट्टों से भिन्न विज्ञापन पट्ट ऐसे भवनों यथा चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थानों, न्यायालयों, सार्वजनिक कार्यालयों, सग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष प्रदर्शित करने की अनुज्ञा नहीं होगी,

(ढ) विज्ञापनों का अनुरक्षण और निरीक्षण तथा उनके अवलम्ब नियम 24 के अनुसार होगें,

(ण) समस्त विज्ञापन नियम 16 ''समस्त विज्ञापनों के लिए सामान्य अपेक्षायें'' में दी गयी सामान्य अपेक्षाओं के अनुरुप होगें,

(त) विज्ञापन को वृक्षो या काष्ठमय पेड़ पौधे में गाड़ा,बॉधा नही जायेगा।

(2) नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उनका नवीनीकरण तत्काल स्वतः समाप्त हो जाएगा,

(क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्ही अन्य कारणों से गिर जाता है,

(ख) यदि कोई परिवर्द्धन, उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर नगर आयुक्त के निर्देश के अधीन किया जाता है,

(ग) यदि बिना सूचना दिये विज्ञापन या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है,

(घ) यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया गया हो और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन पट्ट या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है, या

(ड़) यदि ऐसा भवन या संरचना, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित, नियत या अवरुद्ध हो, भंजित या नष्ट हो जाती है।

प्रीमियम 6–ख

(1) नगर आयुक्त प्रत्येक स्थल के लिये स्थल के महत्व के अनुसार न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि नियत करेगा,

(2) मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम सात दिन का समय दिया जायेगा।

(3) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित न्यूनतम प्रीमियम की पूर्ण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर चेक संलग्न होनी चाहिए। प्रीमियम की शेष धनराशि प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात् नगर आयुक्त द्वारा यथा निर्दिष्ट अवधि के अंदर जमा करनी होगी।

7–आवंटन समिति

(1) नगर आयुक्त की अध्यक्षता में निगम में एक आवंटन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगें–

(एक)नगरआयुक्तद्वारा नामित अपर नगर आयुक्त	सदस्य
(दो) निगम में तैनात यातायात सेल(ट्रेफिकसेलका अभियन्ता)	सदस्य
(तीन) सम्बन्धित जोन का जोनल अधिकारी	सदस्य
(चार) प्रभारी अधिकारी, विज्ञापन एवं विज्ञापन पट्ट जो सहायकनगर आयुक्त/कर निर्धारण अधिकारी की श्रेणी से निम्न न हो	सदस्य–सचिव

टिप्पणीः **नगर आयुक्त,महापौर के परामर्श से एक या एक से अधिक सदस्य, जैसा वह उचित समझे सहयोजित कर सकते है।**

(2) **(एक)** समिति सार्वजनिक भूमि/नगर निगम में निहित भूमि (गली, फुटपाथ, डिवाइडर, तिराहा, चौराहा, आईलैण्ड पार्क, या कोई सार्वजनिक स्थल) पर स्ट्रक्चर निर्मित करने हेतु उस स्थल के व्यावसायिक महत्व एवं उस स्थल के माध्यम से होकर गुजरने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम की न्यूनतम धनराशि निर्धारित करेंगी

(दो) समिति इस नियमावली में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार आवेदन पत्रों, प्रस्तावों की संवीक्षा करेगी और तद्नुसार अनुमोदित करेगी।

(3) नियम–26 के अधीन कर सहित प्रीमियम की पूर्ण प्रस्तावित धनराशि जमा करने के पश्चात् उच्चतम प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान करेगी।किसी विज्ञापन स्थल के लिये एक से अधिक समान प्रीमियम की धनराशि के प्रस्ताव प्राप्त होने पर सभी समान दर उद्धत

करने वाले आवेदको से पुनः मोहर बन्द प्रस्ताव आंमत्रित करके,उच्चतम प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

(4) सदस्य, सचिव समिति द्वारा सम्यक रुप से अनुमोदित अनुज्ञा आदेश जारी करेगा।

(5) यदि उच्चतम प्रीमियम प्रस्तावित करने वाला आवेदक किन्ही कारणों से अनुमोदित प्रीमियम एवं विज्ञापन कर की धनराशि जमा नही करता हैं और निविदा से अपना प्रस्ताव वापस लेता है तो उसके द्वारा नीलामी/निविदा के लिए जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

(6) विस्तृत सूचना, अनुदेश और निबंधन एवं शर्ते अनुज्ञा आदेश में उल्लिखित की जाएगी।

(7) विज्ञापन (यथा–होर्डिंग, यूनीपोल, बस शेल्टर, गैन्ट्री इत्यादि) के लिए प्रत्येक स्थल की नीलामी या निविदा एवं विद्युत, टेलीफोन खम्भों, ट्री–गार्ड/फ्लावर पॉट पर विज्ञापन की नीलामी/निविदा एक ही रुप में उपर्युक्त रीति से की जाएगी।

(8) यदि कोई विज्ञापन निजी भूमि या भवन पर सम्प्रदर्शित किया जाना वाँछनीय हो तो अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक विज्ञापन कर, विज्ञापन कर्ता द्वारा संदेय होगा।

(9) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी सार्वजनिक मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग को छोड़कर अनुज्ञा न हो) या इससे संलग्न भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान विद्युत या टेलीफोन खम्भों या ट्री–गार्ड या चहारदीवारी पर सम्प्रदर्शित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना या प्रदर्शित किया जाना हो, तो अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक कर और उच्चतम प्रीमियम की धनराशि आवेदक द्वारा संदेय होगी।

8–आवेदनपत्रों की अस्वीकृति के आधार

नियम–4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है यह किः–

(क) आवेदन पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस नियमावली के अनुरुप न हो,

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स या आपत्तिजनक प्रकृति का, या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से सम्प्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील, नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्तता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शान्ति या प्रशान्ति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो,

(घ) प्रस्ताावित विज्ञापन से तूफान या अधंड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो,

(ड़) प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में अशांति या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो,

(च) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों से असंगत हो।

(छ) विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वाँछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में धारा–172 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनाँक को असंदत्त हो।

(ज) अन्य कोई कारण जिसे नगर आयुक्त नगर निगम के हित व जनहित में उचित समझे।

9–अनुज्ञा प्रदान करने की रीति

किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने चित्रित करने या हस्तान्तरित करने हेतु आवंटन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना नगर आयुक्त के लिए विधि सम्मत होगा–

(एक) सार्वजनिक नीलामी द्वारा,(नवीन अनुमति)

(दो) निविदा आमंत्रित करने के द्वारा(नवीन अनुमति)

(तीन) निर्धारित नियमों एवं शर्तो के अधीन पूर्व में प्रदान की गई अनुज्ञा के नवीनीकरण द्वारा

(चार) निजी स्थल/भवन पर विज्ञापन की अनुमति परिसर के मालिक की सहमति पर इस नियम के अन्य उपबन्धों के अधीन दी जा सकती हैं,

(किन्तु अनुज्ञा किसी भी दशा में नही दी जाएगी, जिससे यातायात एवं फुटपाथ पर पैदल चलने में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो)

10–अनुज्ञा की अवधि

अनुज्ञा, की अवधि वही होगी जो अनुज्ञा पत्र मे विनिर्दिष्ट है। वार्षिक अनुज्ञा,अनुज्ञा के दिनाँक स`एक वर्ष की अधिकतम अवधि या उस वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक,जिसमें अनुज्ञा स्वीकार की गयी,इनमें जो भी पहले हो,होगी।

11– **अनुज्ञा का नवीनीकरण**

नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क एवं सम्पूर्ण विज्ञापन कर जमा करने के पश्चात अनुज्ञा का नवीनीकरण नियम 6(3) के अधीन किया जा सकता है। इसके लिये विज्ञापनकर्ता को अनुसूची–1 के रूप मेंसंलग्न विहित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुज्ञाके नवीनीकरण होने के पश्चात देय प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क एवं विज्ञापन कर जमा करना होगा।

12–विज्ञापन या विज्ञापन (1)

यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट इस नियमावली के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, सम्प्रदर्शित किया

पट हटाने की शक्ति

जाता है, लगाया जाता है, सुनाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशान्ति का कारण हो तो नगर आयुक्त, विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकती है या मिटा सकती है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकती है:–

(क) ऐसे हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय, और

(ख) ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, सम्प्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया गया था या लटकाया गया था, के लिए क्षतियों की धनराशि।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन नगर आयुक्त द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणामस्वरुप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन सम्प्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को नगर आयुक्त के समाधान पर्यन्त ठीक किया जायेगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग /सड़क/फुटपाथ यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो विज्ञापन कर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाना चाहिए।

13–विज्ञापन पर निर्बन्धन

(1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी के प्रतिकूल होते हुए भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट परिनिर्मित नहीं किया जायेगा, प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, सम्प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, लगाया नहीं जायेगा, चिपकाया नहीं जायेगा, लिखा नहीं जायेगा, चित्रित नहीं किया जायेगा या लटकाया नहीं जायेगा, यदि–

(एक) यह आकार में 12..2 मीटर X 6..2 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 02मी0 से कम हो,

(दो) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुए मार्ग से मापे गये 20 मीटर के अन्तर्गत किसी स्थान पर अवस्थित हो,

(तीन) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे यानीय या पैदल चलने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो,

(चार) समिति की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट के लिए अनुपयुक्त हो,

(पाँच) यह मार्ग के उस पार एवं मार्ग पटरी/पगडण्डी पर रखा गया हो,

(छः) यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों सार्वजनिक भवनों और दीवारों, चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं,न्यायालयों,सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के चारों ओर अवस्थित हो

(सात) स्थल नियम–22 के अधीन इस प्रयोजनार्थ निगम या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पड़ता हो,

(आठ) जर्जर स्थिति में हो जिसके ऑधी–पानी (बरसात) में गिरने की सम्भावना हो,

(2) विज्ञापनों और विज्ञापन पटों को निम्नलिखित रुप में अनुज्ञा नहीं दी जाएगी–

(एक) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे कि यातायात के पहुँचने, संविलीन होने या प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो,

(दो) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के दायीं ओर मार्ग के भीतर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के यान मार्ग के छोर के 10 मीटर के भीतर,एवं समस्त प्रमुख चौराहों की दूरी 20 मीटर के भीतर

(तीन) किसी लोक प्राधिकरण यथा यातायात प्राधिकरण, लोक परिवहन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशों के अधीन मार्ग से होते हुए यातायात के विनियमन के लिए परिनिर्मित किसी साइन बोर्ड के 50 मीटर के भीतर,

(चार) ऐसे रुप में जिससे लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियंत्रण के लिए परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतक या अन्य युक्ति के निर्वचन में विध्न व्यवधान उत्पन्न हो,

(पाँच) किसी मार्ग के पार लटकाए गये पटो, भित्ति पत्रकों, वस्त्र–झण्डियों या पत्रक पर जिनसे चालक का ध्यान विचलित होता हो, और इसलिए परिसंकटमय हो

(छः),ऐसे रुप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो और चौराहे पर उनकी दृश्यता बाधित हो,

(सात) जब इनसे स्थानीय व जन सुविधायें प्रभावित हो।

(आठ) प्रतिबन्धित क्षेत्र में डिवाइडर जो हाइटेंशन लाइन के नीचे, पार्क, ग्रीन बेल्ट आदि स्थानों पर बैनर क्यास्क, यूनीपोल, विज्ञापनपट को निर्बन्धित करते हुए मोतीझील परिसर मे धार्मिक कार्यो को छोड़कर प्रतिबन्धित क्षेत्र होगा।

ह0.....महापौर

(3) (एक) निजी भवनों पर पोस्टर चिपकानें अथवा वॉल राइटिंग के पूर्व भवन स्वामी की लिखित अनुमति आवश्यक होगी। सार्वजनिक भवनो,दिशा–शूचकों और महत्व सूचनाओं/नोटिस वाले विज्ञापन–पटो पर पोस्टर लगाना अथवा कुछ लिखना पूर्णतः प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय अपराध होगा।

(दो) सड़क पर कास बैनर पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा,

(तीन) गैन्ट्री प्रतीको के लिए यह आवश्यक होगा कि गैन्ट्री के दोनो छोरो पर स्थान बोधक,दिशासूचक शब्द एवं दूरी का उल्लेख किया जाय जो विज्ञापन के कुल आकार का न्यूनतम 30 प्रतिशत से कम नही होगा। गैन्ट्री की सड़क से न्यूनतम ऊँचाई इस प्रकार रखी जायेगी कि समान लदा हुआ भारी ट्रक नीचे से आसानी से गुजर सके,

(चार) फ्लावर पॉट में मौसमी पुष्पों वाले पौधे ही लगाए जा सकेगे। कैक्टस वाले फलावर पॉट अनुमन्य नही होगे,

(पॉच) सड़क के किनारे अथवा डिवाइडर पर लगे किसी भी बड़े वृक्ष जो स्वावलम्बी हो चुके है एवं बड़े वृक्ष के नीचे ट्री–गार्ड /फ्लावर पॉट लगाकर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाना निषिद्ध होगा,

(छः) किसी भी पोल पर अधिकतम दो कियॉस्क जिनके पार्श्व भाग आपस मे इस प्रकार सटे होगे जिसमें एक दिशा से एक ही कियॉस्क दृश्य होगा, अनुमन्य होगे।

(4) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पटों की अनुज्ञा नहीं होगी–

(एक) विज्ञापन और विज्ञापन पट जिनमें जनसेवा सूचना यथा समय,ताप मौसम या दिनांक इंगित करने वाले प्रकाशों को छोड़कर कोई चौधने वाले आंतरायिक या गतिमान प्रकाश अन्तर्विष्ट है,सम्मिलित है या जो उनके द्वारा प्रदीप्त है,

(दो) ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन पट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन किया में विध्न पड़ता हो,

(तीन) विज्ञापन और विज्ञापन पट , जो इस रुप में प्रदीप्त हों जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट, युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

14–छत के ऊपर के विज्ञापन पटो के सम्बन्ध में निर्बन्धन

(1) किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या सम्प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पटों के मामले में केवल प्लास्टिक की विनायल या वस्त्र पत्रक अनुमन्य है,

(2) नियम–6 और नियम–13 के अधीन रहते हुए किसी भवन की छत पर विज्ञापन या विज्ञापन पट की ऊँचाई, अधिकतम 6.2 मीटर से अधिक

नही होगी और चौड़ाई किसी भी दशा मे भवन की क्षैतिज चौड़ाई से अधिक नही होगी।

15– विज्ञापन पटो का प्रकार

1. विज्ञापन पट निम्नलिखित प्रकार के हैं–

क) वैद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन,/वैद्युत, डिजिटल विज्ञापन

(ख) भू–विज्ञापन,

(ग) छत विज्ञापन,

(घ) बरामदा विज्ञापन,/दुकान विज्ञापन

(ड़) दीवार विज्ञापन,

(च) प्रक्षिप्त विज्ञापन,

(छ) शामियाना विज्ञापन

(ज) आकाशीय विज्ञापन

(झ) विविध और अस्थायी विज्ञापन,

(ञ) ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड विज्ञापन

(ट) जनसुविधा स्थान पर विज्ञापन

(ठ) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन

(ड) पताका/झण्डी विज्ञापन,द्वार विज्ञापन,गुब्बारा विज्ञापन,

(ढ) ट्री गार्ड/फ्लावर पॉट डिस्प्ले

(ण) गैन्ट्री विज्ञापन,

(त) बिल्डिंग ग्लास,फसाडवॉल रैप,वाटर अैक विज्ञापन

क– <u>वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन</u>

क–1 वैद्युत विज्ञापन की सामग्री, जहाँ विज्ञापन पूर्णतः पुंज प्रकाश युक्त विज्ञापन हो, उसे छोड़कर प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन पट अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

क–2 **<u>वैद्युत विज्ञापनों और प्रदीप्त विज्ञापनों का स्थापन–</u>**

प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन को राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 भाग–8, भवन सेवायें, धारा–2 विद्युत एवं समवर्गी स्थापन, के अनुसार स्थापित किया जायेगा।

क–3 लाल, तृणमणि जैसा या हरे रंग में कोई प्रदीप्त विज्ञापन, किसी प्रदीप्त यातायात विज्ञापन के 10 मीटर की क्षैतिज दूरी के भीतर परिनिर्मित या अनुरक्षित नही किया जायेगा।

क–4 दो मंजिल से कम की ऊँचाई पर या पगडण्डी से 6.2 मीटर ऊपर जो भी अधिक हो,पर सफेद प्रकाश से भिन्न प्रकाश द्वारा प्रदीप्त समस्त विज्ञापन पट समुचित रुप से प्रदर्शित किये जायेंगे जिससे कि यातायात के नियंत्रण में विज्ञापन पट या संकेतक से होने वाले किसी प्रकार के व्यवधान को सन्तोषजनक रुप में रोका जा सके।

क–5 **<u>गहन प्रदीप्त–</u>**

कोई व्यक्ति ऐसा कोई विज्ञापन परिनिर्मित नहीं करेगा जो ऐसे गहन प्रदीप्त का हो जिससे कि संलग्न या समीपवर्ती भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो। ऐसे परिनिर्माण के लिए दी गयी किसी अनुज्ञा के होते हुये भी किसी ऐसे विज्ञापन, जो परिनिर्माण के पश्चात् नगर आयुक्त की राय में ऐसी गहन प्रदीप्त का हो जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के अध्यासियों को व्यवधान उत्पन्न हो, को नगर आयुक्त के आदेश के आधार पर सम्बन्धित स्थल के स्वामी द्वारा ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जैसा कि नगर आयुक्त विनिर्दिष्ट करें, के भीतर समुचित रुप में परिवर्तित कर दिया जाएगा या उसे हटा दिया जायेगा।

क–6 **<u>परिवर्तन अवधि–</u>**

नगर आयुक्त की राय में, जन सुख सुविधा,स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में, आवश्यक विज्ञापन से भिन्न कोई वैद्युत विज्ञापन, मध्यरात्रि और सूर्योदय के मध्य प्रचलित नहीं किया जायेगा।

क–7 **<u>चौधने वाला, औझल करने वाला और जीवंतता प्रदान करने वाला–</u>**

कोई चौंधने वाला, ओझल करने वाला और जीवंतता परक विज्ञापन पट्टिका, जिसकी बारम्बारता प्रति मिनट 30 चौंध से अधिक हो, इस प्रकार परिनिर्मित की जाएगी कि ऐसे विज्ञापन पटों का न्यूनतम छोर भूतल से 9 मीटर से ऊपर से कम न हो।

क–8 विमानपत्तनों के निकट प्रदीप्त विज्ञापनों के लिए विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

ख–भू विज्ञापन

ख–1 **सामग्री–**

ढाँचों, अवलम्बों और पट्टी सहित 06 मीटर से अधिक ऊँचाई वाला प्रत्येक भू–विज्ञापन, नियम–16 के उपनियम (4) में दी गयी सामग्री को छोड़कर अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा।

ख–2 **आयाम–**

कोई भी भू विज्ञापन भूमि से ऊपर 06 मीटर से अधिक की ऊँचाई में परिनिर्मित नहीं किया जायेगा। प्रकाश परावर्तन विज्ञापन के अग्रभाग या मुख्य भाग से ऊपर जा सकता है।

ख–3 **अवलम्ब और स्थिरक स्थान–**

प्रत्येक भू–विज्ञापन को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जाएगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित काष्ठ के होगें या संक्षारण रोध या चिनाई या कंक्रीट हेतु संसाधित धातु के होंगे।

ख–4 **स्थल सफाई –**

किसी स्थल जिस पर कोई भू–विज्ञापन परिनिर्मित हो, का स्वामी नगर आयुक्त के अनुमोदन हेतु स्थल के ऐसे भाग, जो मार्ग से दृश्य हो को स्वच्छ, साफ, निर्मल और समस्त गन्दे पदार्थों तथा कुरुप स्थितियों से मुक्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

ख–5 **यातायात में आपत्ति –**

ऐसा कोई भू–विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जायेगा जिससे कि किसी भवन में मुक्त प्रवेश में या उसके निकास में व्यवधान उत्पन्न हो,

ख–6 तल निर्बाधन के समस्त भू–विज्ञापनों का तल आधार भूमि से कम से कम 2 मीटर ऊपर होगा किन्तु अंतरावर्ती स्थान का जालदार कार्य या वेदी सजावटी व्यवस्था से पूरा किया जा सकता है।

ख–7 भू–चित्रित विज्ञापन, जहाँ प्रयोज्य हों, वहाँ नियम–16 की अपेक्षाओं के अनुरुप होंगे।

ग–छत विज्ञापन **ग–1** **सामग्री–**

नियम–16 के उपनियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर ढाँचों, अवलम्बों और पट्टियों सहित प्रत्येक छत विज्ञापन पट्टिका को अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा। समस्त धात्विक पुर्जों के वैद्युत भू–आच्छादन की व्यवस्था की जाएगी और जहाँ ज्वलनशील सामग्रियाँ अक्षरों या अन्य साज–सज्जों में अनुज्ञात हो वहाँ समस्त लेख और नलिकाएं उसमें मुक्त और रोधित रखी जायेंगी।

ग–2 **<u>अवस्थितिः</u>**

(क) किसी भवन के छत पर कोई छत विज्ञापन, इस प्रकार नही रख जाएगा जिससे कि छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश मे व्यवधान उत्पन्न हो।

(ख) कोई छत विज्ञापन किसी भवन के छत पर या उसके ऊपर तब तक नही रख जाएगा जब तक सम्पूर्ण छत का निर्माण अज्वलनशील सामग्री का न हो।

ग–3 **<u>क्षेपण :</u>** कोई छत विज्ञापन भवन के विद्यमान भवन लाइन जिस पर यह परिनिर्मित हो के परे/प्रक्षेपित नहीं होगा अथवा वह छत के ऊपर किसी भी दशा में नहीं बढ़ेगा।

ग–4 **<u>अवलम्ब और स्थिरक :</u>** प्रत्येक छत विज्ञापन को पूर्णतया सुरक्षित रखा जाएगा और उसे ऐसे भवन, जिस पर या जिसके ऊपर यह परिनिर्मित हो, पर स्थिर किया जाएगा। सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रुप में संवितरित होंगे।

ग–5 विमानपत्तनों के समीप छत विज्ञापनों हेतु विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

ग–6 चित्रित छत विज्ञापन, जहाँ प्रयोज्य हो, नियम–16 '' समस्त विज्ञापनों हेतु सामान्य अपेक्षाएं'' के अनुरुप होंगे।

घ–बरामदा

घ–1 **<u>सामग्री–</u>** प्रत्येक बरामदा विज्ञापन नियम–16 के उपनियम–(4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर पूर्णतः अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

घ–2 **<u>आयाम–</u>** कोई बरामदा विज्ञापन ऊँचाई में 01 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी बरामदा से लटकाया जाने वाला कोई बरामदा विज्ञापन लम्बाई में 2.5 मीटर और मोटाई में 50 मिली मीटर से अधिक नहीं होगा, इसके सिवाय विज्ञापन के प्रमुख अग्रभागों के मध्य मापित और पूर्णतया धातुगत तार युक्त शीशे से निर्मित मोटाई में 200 मीटर से अनधिक मापवाला बरामदा बाक्स विज्ञापन, परिनिर्मित

किया जा सकता है।

घ–3 **<u>सरेखण–</u>** प्रत्येक बरामदा विज्ञापन, भवन लाइन के समान्तर स्थापित किया जाएगा। इसके सिवाय किसी बरामदा से लटकने वाले ऐसे किसी विज्ञापन को भवन लाइन के समकोण पर स्थापित किया जाएगा।

घ–4 **<u>स्थान–</u>** बरामदा पट्टिका को जो लटकाने वाले विज्ञापन पट से भिन्न हो, निम्नलिखित स्थान पर लगाया जायेगा–

(एक) बरामदा, छत की ओरी के ठीक ऊपर ऐसी विधि से कि वह छत के गटर के पिछले भाग से बहिर्निष्ट न हो,

(दो) बरामदा, मुंडेर या आलम्ब के सामने किन्तु उसके ऊपर या नीचे नहीं, परन्तु ऐसी मुंडेर या आलंब ठोस हो और विज्ञापन पट्टिका ऐसी मुंडेर या आलंब के बाहरी अग्रभाग से 20 से0मी0 से अधिक बहिर्निष्ट न हो,

(तीन) पेन्ट किये हुये विज्ञापन पट्टिकाओं की दशा में बरांडा धरनों या मुंडेरों पर।

घ–5 **<u>लटकते हुये बरांडा विज्ञापन पट्टिकाओं की ऊँचाई–</u>** किसी बरांडा से लटकता हुआ प्रत्येक बरामदा विज्ञापन पट्टिका इस प्रकार लगायी जायेगी कि ऐसी पट्टिका का सबसे निचला भाग खड़जा से कम से कम 2.5 मीटर ऊपर हो।

घ–6 **<u>प्रक्षेपण–</u>** घ–4 में यथा उपबंधित के सिवाय कोई भी बरांडा विज्ञापन पट्टिका उस लाइन से, जिससे वह लगी हो, बाहर निकली हुई नहीं होगी।

ड़–दीवार विज्ञापन **प्रत्येक दीवार विज्ञापन पट्ट 3 गुणे 3 मीटर को एक यूनिट मानते हुए बिना किसी ज्वलनशील पदार्थ के परिनिर्मित किया जाएगा।**

(क) प्रतिबन्धित क्षेत्रों /सार्वजनिक कार्यालयों, न्यायालयों, धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थाओं, राष्ट्रीय स्मारकों आदि की दीवारों पर विज्ञापन प्रतिषिद्ध रहेगा।

(ख) नगर/स्थल के कलात्मक सौंदर्य व अन्य विशिष्टयों के मामले में दीवार विज्ञापन के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

च– <u>प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाए</u> **च–1** <u>सामग्रीः</u> प्रत्येक प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका और उसका अवलम्ब एवं चौखटा पूर्णतः

अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगा।

ह0.....महापौर

च–2 **<u>प्रक्षेपण एवं ऊँचाई</u>** कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका अपने अवलम्ब या चौखटे के किसी भाग में भवन के बाहर 02 मीटर से अधिक प्रक्षिप्त नहीं होगी किन्तु यह मार्ग के सामने भूखण्ड लाइन के बाहर प्रक्षिप्त नहीं होगी, जब यह मार्ग में प्रक्षिप्त होती हो तो यह सड़क से 2.5 मीटर की स्पष्ट ऊँचाई पर होगी।

(क) समस्त प्रक्षेपण पट्टिकाओं के अक्ष भवन के मुख्य अग्रभाग के दाहिने कोण पर होंगे। जहां अग्रभाग के लिए वी–निर्माण किया गया हो वहां भवन के सामने विज्ञापन पट्टिका का आधार कुल प्रक्षेपण की सीमा से अधिक नहीं होगा।

(ख) कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका छत की ओरी के ऊपर या भवन आकृति के उस भाग, जिससे वह लगी हो, के ऊपर नहीं निकली होगी।

(ग) किसी प्रक्षेपण पट्टिका की अधिकतम ऊँचाई 06 मीटर होगी।

च–3 अवलम्ब एवं संलग्नः प्रत्येक प्रक्षेपण पट्टिका किसी भवन से सुरक्षित रूप से लगी होगी जिससे किसी भी दिशा में उसके संचलन का संक्षरण रोधी धातु दीवारगीर, रॉड्स, ऐकर्स, अवलम्ब, चेन्स या वायरोप्स, जो इस प्रयोजन के लिए निर्मित हो, द्वारा रोका जा सके और इस प्रकार व्यवस्थित की जा सके कि इस प्रकार लगाये जाने की आधी युक्तियाँ परिस्थितिवश विज्ञापन पट्टिका को थाम सकें। स्टैपल्स या कीलों का प्रयोग किसी भवन के किसी प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका को कसने के लिए नहीं किया जायेगा।

च–4 अतिरिक्त भार ऐसी प्रक्षेपण संबंधी संरचनाएं जो किसी सीढ़ी पर या अन्य सेवाई युक्ति में, चाहे वह सेवाई युक्त के लिए विशेष रूप से बनाई गयी है या न हो, किसी व्यक्ति का थामने के लिए प्रयोग में लायी जा सकती हो, पूर्वानुमानित अतिरिक्त भार को थामने के लिए सक्षम होगी किन्तु किसी भी दशा में कल्पित रूप से भार डालने के बिन्दु पर या अत्याधिक उल्केन्द्रीय भार डालने के बिन्दु पर डाला गया केन्द्रित क्षैतिज भार 500 किलोग्राम से और ऊर्ध्वधर केन्द्रित भार 1500 किलोग्राम से कम के लिए सक्षम नहीं होगी। भवन संघटक, जिससे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका लगाई जाय, इस प्रकार निर्मित होगा कि वह अतिरिक्त भार को थाम सके।

<u>छ–शामियाना विज्ञापन पट्टिका</u>

छ–1 **सामग्री :** शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्ण रूप से धातु या अन्य अनुमोदित अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होगी।

छ–2 **ऊँचाईः** ऐसे विज्ञापन पट्टिकाएं 02 मीटर से ऊँची नहीं होगी और न तो वे शामियाना की पट्टी से नीचे और ने पगडंडी के ऊपर 2.5 मीटर से नीचे होंगी।

छ–3 **लम्बाईः** शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएं पूरी लम्बाई से अधिक हो सकती है किन्तु वे किसी भी दशा में शामियाना के छोर से बाहर प्रक्षिप्त नहीं होंगी।

ज–<u>आकाश विज्ञापन पट्टिका–</u>

आकाश विज्ञापन पट्टिकाओं के मामलें में ऐसी आकाश विज्ञापन पट्टिका की ऊँचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होगी। न्यूनतम ऊँचाई ऐसी होनी चाहिए कि उससे वाहन या पैदल संबंधी आवागमन में अवरोध या बाधा उत्पन्न न हो।

झ–अस्थाई विज्ञापन पट्टिका

झ–अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं सचल सर्कस विज्ञापन पट्टिकाएं, मेला विज्ञापन पट्टिकाएं एवं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट।

झ–1 प्रकार झ–.2 के अनुसार यथा परिनिर्मित अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं से भिन्न निम्नलिखित विज्ञापन पट्टिकाओं में से कोई विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित नहीं की जाएगी।

(क) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो बरांदा के स्तम्भों पर या उनके बीच पेंट की या लगायी गयी हो।

(ख) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो किसी बरामदा या बालकनी की किसी पट्टी बेयरर, बीम या आलम्ब के ऊपर या नीचे प्रक्षिप्त हो।

(ग) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो प्रदीप्त या प्रकाशमान हो और जो किसी बरांदा या बालकनी के किसी ढाल या गोल किनारे के पट्टी, बेयरर, बीम या आलम्ब पर लगायी गयी हो।

(घ) किसी सड़क के आर–पार परिनिर्मित कोई पताका विज्ञापन पट्टिका।

(ड़) विज्ञापन पट्टिका का एक दिशा से दूसरी दिशा में लटकने से रोकने के लिए कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो सुरक्षित रूप से न लगी हो।

(च) कपड़े, पेपर मैच या समान या सदृश सामग्री से निर्मित कोई विज्ञापन पट्टिका किन्तु उनके अर्न्तगत होर्डिंग या घरों के लाइसेंस प्राप्त पेपर विज्ञापन पट्टिकाएं नहीं है।

(छ) अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए गए या प्रयोग किए जाने के लिए आशायित किसी भूखण्ड पर कोई विज्ञापन पट्टिकाएं जो किसी ब्रास प्लेट या बोर्ड से भिन्न हो और अधिमानतः 600 मिलीमीटर गुणे 450 मिलीमीटर से अधिक न हो व किसी आवास की दीवार या प्रवेश द्वार या दरवाजे या गेट पर लगी हो और फ्लैट के किसी ब्लाक के मामलें में प्रवेश हाल के दीवार या किसी फ्लैट के किसी प्रवेश द्वार पर लगी हो, और

(ज) पेड़ों चट्टानों या पहाड़ियों या तत्समान प्राकृतिक स्थलों पर कोई विज्ञापन पट्टिका।

झ–2 <u>अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाओं की आवश्यकता</u>

(एक) सभी अस्थायी विज्ञापन, सचल सर्कस और मेला चिन्ह और पट्टिकाएं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार होंगे और इस प्रकार परिनिर्मित होंगे कि उससे किसी रास्ते में अवरोध न पहुंचे और आग के जोखिम को कम करने में बाधा न पहुंचे।

(दो) ऐसी किसी विज्ञापन पट्टिका पर अंकित विज्ञापन केवल कारोबार, उद्योग या किसी ऐसे अन्य व्यवसाय से संबंधित होगा जो उस परिसर पर या उसके भीतर किया जा रहा हो जिस पर विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित या लगायी गयी हो। अस्थायी विज्ञापन पट्टिका को जैसे ही वह फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जाय, यथाशीघ्र और किसी भी दशा में, परिनिर्माण के पश्चात, जब तक विस्तारित न किया जाय, 14 दिन के भीतर हटा दिया जायेगा।

(तीन) नगर आयुक्त किसी अस्थायी विज्ञापन पट्टिका या सजावट को तत्काल हटाने का आदेश, यदि उसकी राय में ऐसी कार्यवाही सार्वजनिक सुविधा और सुरक्षा के हित में आवश्यक हों, देने के लिए सशक्त होगा।

(चार) पोल विज्ञापन पट्टिका : पोल विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगी और यथास्थिति, भूमि या छत की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी, ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएं स्ट्रीट लाइन के बाहर तक बढ़ाई जा सकती है, यदि वे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाओं के उपबन्धों के अनुकूल हों।

(पांच) झण्डी या कपड़े की विज्ञापन पट्टिकाएं : किसी भवन से संलग्न या उससे लटकने वाली अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाएं और झण्डियां जो कपड़े या ज्वलनशील पदार्थ से निर्मित हो, सुदृढ़ रूप से बनी होगी और अपने अवलंब से सुरक्षित रूप से लगी होगी। जैसे ही वे फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जाये, उन्हें, यथाशीघ्र और परिनिर्माण के अधिकतम 14 दिन के पूर्व ही हटा लिया जायेगा, सिवाय उस दशा के जब वे किसी सायबाल

या शामियाना से लटकाये जाने के लिए अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाओं को अनुमति प्राप्त हो, 10 दिन की अवधि तक लटकाए जाने के लिए अनुमति प्राप्त हो।

(छः) अधिकतम आकार : अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं क्षेत्रफल में 10 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगी।

(सात) प्रक्षेपण : कपड़े की अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं और ज्वलनशील निर्माण किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान के ऊपर या उसके अन्दर 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं बढ़ेगी सिवाय उस दशा के जब ऐसी चिन्ह पट्टिकाएं बिना फ्रेम के निर्मित होने पर किसी सायबान या शामियाना के

सामने अवलम्ब के रूप में लगाई जा सकती है या उसकी निचली पट्टी से लटकाई जा सकती है किन्तु वे फुटपाथ के 2.5 मीटर से अधिक निकट तक नहीं बढ़ी होनी चाहिए।

(आठ) विशेष अनुमति : भवन से लटकती हुई या पोल पर लटकती हुए सभी ऐसी अस्थाई झण्डियां जो मार्ग या सार्वजनिक स्थलों के आर–पार बढ़े, नगर आयुक्त के अनुमोदन के अधीन होगी।

(नौ) नगर निगम द्वारा स्थापित किए गए बिल फलक को अस्थाई इश्तहारों, विज्ञापन पट्टिकाओं, प्रतीकों, मनोरंजन आदि के लिए प्रयोग में लाया जायेगा जिससे कि नगर की दीवारें विरूपित न हों।

टिप्पणी : मनोरंजन और अन्य कार्यक्रमों से संबंधित इश्तहार को इश्तहार फलक से भिन्न भवन पर नहीं लगाया जाएगा। ऐसे इश्तहार और पोस्टरों के लिए उत्तरादायी संगठन ऐसे विरूपण और विज्ञापन पट्टिकाओं को न हटाने के लिए उत्तरादायी मानें जायेंगे।

16 <u>सभी विज्ञापन पट्टिकाओं के लिये सामान्य आवश्यकताएं</u>

16(1) भार : विज्ञापन पट्टिकाएं इस प्रकार निर्मित होंगी कि वे भाग–6 संरचनात्मक अभिकल्प खण्ड–1, राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भार, बल और प्रभाव में दिये गये आँधी, डेड से इंस्मिक और अन्य लोड को सुरक्षित रूप से सहन कर सके।

(2) प्रदीप्त : कोई भी विज्ञापन पट्टिका जो विद्युत साधन और विद्युत युक्तियां या वायरिंग से भिन्न हों, राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग–8, भवन सेवाएं खण्ड–2, विद्युत और सम्बद्ध संस्थापना की अपेक्षाओं के अनुसार संस्थापित या प्रकाशित नहीं की जायेगी। किसी भी दशा में कोई खुली चिंगारी या दीप्ति प्रदर्शन के उद्देश्यों के लिए तब तक नही इस्तेमाल की जाएगी, जब तक वह नगर आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित न हो।

(3) <u>विज्ञापन पट्टिकाओं की डिजाइन और स्थान :–</u>

(क) किसी भी विज्ञापन पट्टिकाओं से पदयात्रियों के आवागमन, अग्नि से बचाव, निकास या अग्नि शमन प्रयोजनों के साधन के रूप में प्रयुक्त दरवाजे या खिड़की या द्वार में रूकावट नहीं आएगी।

(ख) किसी भी पट्टिका से प्रकाश व संवातन के द्वार में किसी प्रकार या ढंग से रूकावट नही होगी।

(ग) यदि संभव हो, विज्ञापन पट्टिकाओं को एक साथ सम्मिलित रूप में एकल की जानी चाहिए। भू–दृश्य में अव्यवस्थित विज्ञापन पट्टिका से बचना चाहिए।

(घ) अनावश्यक खंभों को कम करने और विज्ञापन पट्टिकाओं को प्रकाशित करने को सुगम बनाने के लिए पट्टिकाएं लाइटिंग फिक्स्चर से युक्त होनी चाहिए।

(ड़) सूचना विज्ञापन पट्टिकाएं स्वाभाविक सभा स्थलों पर लगाई जानी चाहिए और उन्हें दर्शनीय फर्नीचर के अभिकल्प में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(च) जहां विज्ञापन पट्टिकाओं से पैदल आवागमन में बाधा पहुँचे वहां विज्ञापन पट्टिकाओं को लगाये जाने से बचना चाहिए।

(छ) विज्ञापन पट्टिकाएं इस प्रकार लगानी चाहिए जिससे कि सामने से और पीछे से पदयात्रियों का आवागमन संभव हो सके।

(ज) जहाँ तक सम्भव हो दृष्टिहीन और आंशिक रूप से दृष्टिहीनों के लिए पठनीय बनाने के लिए विज्ञापन पट्टिका के किनारे बेल पट्टियां लगाई जानी चाहिए या उभरे हुए अक्षरों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(झ) कोई भी विज्ञापन पट्टिका किसी भी वृक्ष या झण्डी में नहीं लगायी जानी चाहिए।

(4) दहनशील पदार्थों का प्रयोग –

(एक) सजावटी विशिष्टता : ढलाई, ढक्कन लगाने, ब्लाक्स, अक्षरों व जाली के लिए जहां अनुमति हो और पूर्णतः सजावटी विशिष्टता वाले विज्ञापन पट्टिकाओं के लिए प्रयोग किये जा सकने वाले लकड़ी के सदृश दहनशील विशेषता वाले लकड़ी या प्लास्टिक या अन्य पदार्थ।

(दो) विज्ञापन पट्टिका का फलक : विज्ञापन पट्टिका का अग्रभाग अनुमोदित दहनशील पदार्थ से बना होना चाहिए, परन्तु प्रत्येक अग्रभाग का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और विद्युत लाइटिंग की वायरिंग धातु की नली में बन्द होनी चाहिए और फलक से 5 सेंटीमीटर से अन्यून के निकास के साथ संस्थापित होनी चाहिए।

(5) विज्ञापन पट्टिकाओं को हटाये जाने से नुकसान या विरूपण :

जब भी कोई विज्ञापन पट्टिका हटाई जाय चाहे यह कार्य नगर आयुक्त की नोटिस या उसके आदेश के कारण हो अन्यथा हो, ऐसे भवन या स्थल जिस पर या जिससे ऐसी विज्ञापन पट्टिका प्रदर्शित की गयी थी, में किसी नुकसानी या विरूपण की क्षतिपूर्ति नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप से की जाऐगी। यदि विज्ञापन पट्टिका के हटाये जाने के दौरान सड़क की सतह/फुटपाथ/यातायात सिग्नल या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवा को क्षति पहुँचती है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर देनी चाहिए अथवा तत्काल मरम्मत करा देना चाहिए।

(6) अनुज्ञा–पत्र के ब्यौरे का प्रदर्शन :

अनुज्ञा–पत्र का ब्यौरा और अनुज्ञा की समाप्ति का दिनांक प्रत्येक विज्ञापन पट्टिका पर इस प्रकार लगाया जाएगा कि उसे नग्न नेत्रों से देखा व पढ़ा जा सके।

ह0.....महापौर

17. दुकानों पर विज्ञापन –

किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन नगर आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर और कर के पूर्व भुगतान के बिना दफ्ती लटकाकर, स्टीकर चस्पा करके, पेंटिंग, लेखन द्वारा फ्लेक्स या ग्लोसाइन बोर्ड द्वारा या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण –

(एक) यदि सामग्री बेचे जाने वाली दुकानों के नाम, फलक लटकाकर, पेंटिंग द्वारा या किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किए जाए तो उन्हें विज्ञापन नहीं माना जायगा और वे इस नियमावली के अधीन कराधेय नहीं होगा।

(दो) परन्तु यदि कोई विज्ञापन लटकाकर, चिपकाकर अथवा किसी अन्य रीति से इस प्रकार संप्रदर्शित किया जाए कि उसमें विक्रय की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख हो और गुण आदि का विवरण हो तथा वह सामान्य जनता का ध्यान विज्ञापन के रूप से आकर्षित कर रहा हो तो वह इस नियमावली के अधीन कराधेय होगी।

18 मार्गाधिकार (राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग छोड़कर)के भीतर अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन –

सम्बन्धित मार्ग की क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौन्दर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित विज्ञापन को मार्गाधिकार के भीतर, राष्ट्रीय राज्यमार्ग/राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, अनुज्ञा प्रदान की जायेगी :–

(1) <u>मार्ग प्रकाश के खम्भों पर विज्ञापन</u> –

(एक) **अभिकल्प :** विज्ञापन फलक का आकार चौड़ाई 0.79 मीटर x 1.2 मीटर से अधिक नही रखी जाएगी और विज्ञापन के निचले तल की ऊँचाई 2.5 मीटर से कम नही रखी जाएगी। किसी भी दशा में विज्ञापन फलक वाहन मार्ग में प्रक्षिप्त नहीं होगा।

(2) <u>बस सायबानों पर विज्ञापन :</u>

अभिकल्प : बस सायबानों के विज्ञापन फलक पर क्षेत्र व मार्ग नम्बर को देखने के लिए 1.5 मीटर फलक की लम्बाई को छोड़ते हुए, विज्ञापन की अनुज्ञा प्रदान की जाएगी। बस सायबानों पर विज्ञापन पट्ट की लम्बाई सायबान की कुल लम्बाई से अधिक न होगी तथा अधिकतम ऊँचाई 0.90 मीटर रखी जाएगी। प्रत्येक बस सायबान निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी डिजाइन के अनुसार ही निर्मित कराया जाएगा तथा उस पर नगरीय परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किराया सूची, सिटी बसों का रूट नम्बर एवं उसके निर्धारित मार्ग का विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित विज्ञापनकर्ताओं जिसे बस सायबान पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुज्ञा प्रदान की गई हो, उसे बस सायबान का अनुरक्षण स्वंय के व्यय पर समय–समय पर करानी अनिवार्य होगा।

(3) **स्थानों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापन :** नियम –13 में विहित यातायात सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों के पहचान को सुगम बनाने के लिए नगर आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण मार्ग जंक्शनों पर 2 मीटर × 0.35 मीटर आकार की पट्टी से युक्त मानक रूप में फलक लगाये जा सकते हैं। विज्ञापनकर्ता को नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार फलक की पट्टियों पर संस्तुत रंग व आकार में नामों, दूरी व दिशा आदि पेन्ट करने की अनुज्ञा होगी।

(4) **यातायात रोटरी/सड़क :**

नगर आयुक्त यातायात विभाग (राजपत्रित अधिकारी/यातायात प्रभारी) के परामर्श से आवंटन समिति की संस्तुति पर यातायात रोटरी/सड़क/यातायात बूथों के विकास व रख–रखाव की अनुज्ञा दे सकते हैं। यातायात रोटरी/आईलैण्ड/यातायात पुलिस बूथ उसकी कुल चौड़ाई एवं ऊँचाई से अधिक का विज्ञापन प्रदर्शित नही किया जाएगा तथा विज्ञापन की ऊँचाई अधिकतम 0.90 मीटर रखी जाएगी। इसके लिए विज्ञापनकर्ता को नियमावली में विहित दरों पर विज्ञापन कर तथा आवंटन समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रीमियम जमा करना होगा।

(5) **मैदानों/पगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियां**

नगर आयुक्त अभिकरण को मैदान/पगडंडी के किनारे रक्षक पट्टियों की व्यवस्था करने एवं उनका रख रखाव करने के साथ–साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथाअनुमोदित पट्टियों पर नाम/उत्पाद का संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। अभिकरण रक्षक पट्टी के अभिकल्प के लिए नगर आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने और नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप में समय–समय पर रक्षक पट्टी/विभाजक का रख–रखाव करने और मुख्यतः पेन्ट करने के लिए आबद्धकर होगा। इस पर लगने वाले विज्ञापन पट का अधिकतम आकार 0.45 मीटर x 0.75मीटर होगा तथा सड़क से न्यूनतम ऊँचाई 2.5 मीटर होगी।

(6) **वृक्ष रक्षक (ट्री गार्ड) :** नगर आयुक्त किसी चयनित अभिकरण को पौधों के चारों तरफ अनुमोदित अभिकल्प के वृक्ष रक्षक की व्यवस्था एवं रख–रखाव करने के साथ–साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित वृक्ष रक्षकों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा दे सकते हैं परन्तु 0.60 मीटर से कम चौड़े डिवाईडरो पर ट्री गार्ड लगाये जाने की अनुमति नही होगी।

(7) **पुष्प पात्र स्टैण्डस :** नगर आयुक्त किसी अभिकरण को सड़क विभाजक पर अनुमोदित अभिकल्प के पुष्प पात्र स्टैण्ड की व्यवस्था एवं रख–रखाव करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। दो पुष्प पात्र स्टैण्डों के मध्य कम से कम 05 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अधिकतम 0.45 मीटर × 0.75 मीटर माप के विज्ञापन पट्टी अपने दो ओर संप्रदर्शित किये जा सकते हैं, परन्तु सड़क सतह के ऊपर विज्ञापन पट्टी के निचले भाग का उर्ध्व निकास 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

ह0.....महापौर

परन्तु यह कि विज्ञापन पट्टी की चौड़ाई दोनों ओर के विभाजकों की चौड़ाई से 0.25 मीटर कम होगी और पुष्प पात्र को उसके संरेखण (विभाजक के दिशा के समानान्तर) में रखा जायगा।

19— छूट **(1)** इस नियमावली की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नहीं होगीः—

(एक) यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।

(दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।

(तीन) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट, सिग्नल्स, यातायात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिसें, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट, परन्तु उनकी माप 0.6 मीटर × 0.6 मीटर से अधिक न हो।

(पाँच) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाय किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

(छः) यदि किसी ऐसी भूमि या भवन जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय या बैठक या मनोरंजन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, आमनीबस या अन्य वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से संबंधित हो, परन्तु यह 1.2 वर्गमीटर से अधिक न हो।

(सात) इसके अतिरिक्त नियम 19 के उप नियम (1) से (6) के अर्न्तगत आच्छादित विज्ञापन पट्टों के लिये किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऐसी छूट से यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि विज्ञापन पट्ट का स्वामी इस नियमावली के अनुपालन में परिनिर्माण या रख—रखाव के उत्तरादायित्व से निर्मुक्त है।

(2) दीवार विज्ञापन पट्ट : नीचे सूचीबद्ध दीवारों के लिए किसी अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होगी :—

(एक) **भण्डारण विज्ञापन पट्ट :** किसी प्रदर्शन खिड़की के ऊपर किसी भण्डारण या कारोबार अधिष्ठान के दरवाजे के ऊपर परिनिर्मित या अप्रकाशित विज्ञापन पट्ट, जो मालिक के नाम और उसमें संचालित कारोबार की प्रकृति को घोषित करते होंः विज्ञापन पट्ट 01 मीटर से ऊँचे और कारोबार अधिष्ठान की चौड़ाई से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(दो) **सरकारी भवन विज्ञापन पट्ट :** किसी नगर पालिका, राज्य या केन्द्रीय सरकार के भवन पर परिनिर्मित ऐसे विज्ञापन पट्ट जो अध्यासन के नाम, प्रकृति या सूचना को घोषित करते हो।

(तीन) **नाम पट्ट :** किसी भवन या संरचना पर परिनिर्मित कोई ऐसा विज्ञापन पट्ट, जो भवन के अध्यासी के नाम को इंगित करता हो और जो क्षेत्रफल में 0.5 वर्ग मीटर से अधिक न हो।

(चार) ऐसे विज्ञापन पट्ट तो किसी यात्रा मार्ग, स्टेशन या सार्वजनिक सुविधा से के स्थानो की ओर इंगित करते हो।

(3) अस्थाई विज्ञापन पट्ट :

(एक) निर्माण स्थल संकेत : निर्माण संकेत, इंजीनियर एवं वास्तुविद के संकेत और अन्य समान संकेत जो निर्माण अभियान के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किए जाए।

(दो) विशेष संप्रदर्शन संकेत : अवकाशों, सार्वजनिक प्रदर्शन या नागरिक कल्याण की प्रोन्नति या धमार्थ प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जााने वाले विशेष सजावटी संप्रदर्शन, जिस पर कोई वाणिज्यिक विज्ञापन न हो, परन्तु यह कि नगर आयुक्त किसी परिणामिक नुकसान के लिए उत्तरदायी नही है। (नियम–15 झ(2) अस्थाई विज्ञापन पट्ट के लिए आवश्यकता देखिए)

20 <u>विशेष विज्ञापन</u>

(1) यदि अनुसूची–2 जिसके अन्तर्गत प्रतिषिद्ध क्षेत्र भी है द्वारा कोई विशेष या सार्वजनिक हित का विज्ञापन आच्छादित नहीं है तो नगर आयुक्त उसे ऐसे निर्बन्धन एवं शर्तों पर और ऐसी दर पर, जिसे वह उचित समझे, कर के भुगतान पर परनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने चस्पा करने, लिखने, रेखांकन करने या लटकाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं।

(2) प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तक के लिये विधिमान्य होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रतर एक माह के लिये बढ़ाया जा सकता है। यदि अनुज्ञा की आवश्यकता किसी अग्रेतर अवधि के लिये हो तो नगर आयुक्त के समक्ष स्वीकृत का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

21. <u>विशेष नियंत्रण क्षेत्र</u>

ह0.....महापौर

(1) जब कभी नगर आयुक्त की राय में इस नियमावली में निबन्धनों के अनुसार अन्यथा अनुज्ञान विज्ञापन युक्ति से नियम के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षति पहुँचने या उसके निरूपित होने की संभावना हो तो वह ऐसे क्षेत्र को विशेष नियन्त्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। पालों और भूमि को भी विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

(2) उप नियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का परनिर्माण औ प्रदर्शन निषिद्ध किया जायेगा या किसी प्रकार से सीमित किया जायेगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा आवश्यक समझा जाये। नगर आयुक्त निगम की अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार पत्रों में, ऐसे क्षेत्र को घोषणा करने के सम्बन्ध में अपने आशय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी घोषणा से व्यथित अनुभव करे ऐसे क्षेत्र की घोषणा के विरूद्ध ऐसे प्रकाशन से एक माह के भीतर नगर आयुक्त को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय निर्णायक होगा।

(3) किसी बरामदा विज्ञापन की शब्दावली विशेष नियन्त्रण के किसी क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा अनुमत हो, स्वामी या फर्म के नाम तक सीमित होगा जो उस परिसर का अध्यासी हो। भवन या संस्था या फर्म के नाम तक सीमित होगा जो उस परिसर का अध्यासी हो। भवन या संस्था के नाम चलाये जा रहे साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम जैसे कि ज्वैलर्स कैफे, ''डांसिंग' या भवन के प्रवेश की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना हो सकती है या सिनेमा या नाटक कार्यक्रम के सम्बध में या इसी प्रकार की कोई सूचना हो सकती है। किसी भी बरामदे के विज्ञापन में विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में व्यापार की किसी विशिष्ट वस्तु का विज्ञापन नहीं होगा और न ही मूल्य या मूल में कमी से सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।

(4) विशेष नियंत्रण के क्षेत्र से तीस मीटर दूरी के भीतर, उप नियम (3) में दिये गये के सिवाय सामान्यतः कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नहीं होगा।

22. <u>निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा</u>

निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापनपटों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन लगाना, चिपकाना लेखन, आरेक्षण या लटकाने के लिये निषिद्ध घोषित करेगा।

23. <u>झण्डियों पर रोक</u>

(1) कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी/बैनरों का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लटकाने का कार्य नहीं करेगा।

(2) कोई भी अनुज्ञा नियम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस नियमावली के अधीन प्रदान नहीं की जायेगी।

(3) इस नियमावली के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई कोई भी व्यक्ति ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो नगर आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाये और वह प्रति झण्डी/बैनर दो सौ रूपये से कम नहीं होगी।

(4) नगर आयुक्त इस नियम में निर्दिष्ट झण्डी/बैनर को हटा सकता है और उसे समयहृत या विनष्ट कर सकता है।

24 <u>अनुरक्षण और निरीक्षण</u>

(1) अनुरक्षण : सभी विज्ञापन जिनके लिये अनुज्ञा अपेक्षित है अविलम्बो, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं होंगे तो उन पर मोर्चा लगने से रोकने के लिये रंग–रोगन समय–समय पर किया जायेगा।

(2) सुव्यवस्था : प्रत्येक विज्ञापन के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन द्वारा छेके गये परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(3) निरीक्षण : प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिए परमिट जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान विज्ञापन जिसके लिये कोई परमिट अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रत्येक पंचांग वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा।

25. <u>प्रवेश और निरीक्षण की शक्तिः</u>

नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा अधिकृत कोई निगम अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जॉच करने के प्रयोजन के लिये या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिये जो इस नियमावली द्वारा या तद्धीन प्राधिकृत के या जो किसी प्रयोजन के लिये आवश्यक हो या इस नियमावली के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है, परन्तु–

(एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय और अध्यासी को युक्तियुक्त नोटिस दिये बिना या यदि भूमि या भवनों के स्वामी हेतु कोई अध्यासी न हो तो इस प्रकार प्रवेश नहीं की जायेगी।

(दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो, को हट सकने के लिये पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

(तीन) जहॉ तक ऐसे प्रयोजन की अत्यावश्यकताओं के अनुरूप हो, जिसके लिये प्रवेश किया गया है। प्रविष्ट की गयी भूमि या भवन के अध्यासियों के सामाजिक और धार्मिक उपयोगिताओं की ओर सम्यक,ध्यान दिया जायेगा।

26– **<u>कर भुगतान की रीति</u>**

(1) अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक कर एकल किश्त में अथवा दो समान किश्तों में संदेय होगा। बिना देय धनराशि जमा किये एवं बिना अनुज्ञा प्राप्त किये कोई विज्ञापन पट या विज्ञापन परिनिर्मित/संप्रदर्शित नही किया जायेगा। प्रथम किश्त वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने अथवा स्वीकृत के समय जो पूर्वतर हो, तथा दूसरी किश्त 30 सितम्बर के पूर्व देय होगी।

(2) यदि कोई विज्ञापन छः माह से कम अवधि हेतु प्रदर्शित किया जाता हैं तो विज्ञापन कर अनुसूची–2 में अंकित दरों की 50 प्रतिशत धनराशि के बराबर देय होगा।

(3) किसी विशेष प्रयोजन हेतु यदि किसी विज्ञापन को तीन माह अथवा उससे कम अवधि हेतु प्रदर्शित करता हैं तो कर की दरें अनुसूची–2 में अंकित दरो पर मासिक आधार पर एक किस्त में देय होगी।

27– **क्षेत्रों का वर्गीकरण**

विज्ञापनों पर कर के प्रयोजनार्थ प्रतिषिद्ध क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों के वर्गीकरण का विनिश्चय नगर आयुक्त द्वारा निम्नलिखित वर्गो में किया जाएगा–

(एक) निषिद्ध श्रेणी क्षेत्र
(दो) प्रवर श्रेणी क्षेत्र
(तीन) ''अ'' श्रेणी क्षेत्र
(चार) ''ब'' श्रेणी क्षेत्र
(पाँच) ''स'' श्रेणी क्षेत्र
(छः) ''द'' श्रेणी क्षेत्र

(एक) **सर्वोचित वर्ग :–** 1. मरे कम्पनी ब्रिज से परेड चौराहे तक, 2. मेघदूत तिराहे से स्टॉक एक्सचेन्ज क्रासिंग तक, 3. आदर्श व्यायामशाला से कचहरी होते हुये लाल इमली क्रासिंग तक 4. उपरोक्त क्षेत्र के आन्तरिक मार्गों पर।

(दो) **'अ' वर्ग :–** 1. परेड क्रासिंग के बाद से चुन्नीगंज होते हुये बकरमण्डी ढाल तक (लाल इमली चौराहे के आस–पास छोड़कर), 2. स्टॉक एक्सचेन्ज क्रासिंग के बाद से वी0आई0पी0 रोड होते हुये रावतपुर तिराहे तक, 3. घन्टाघर चौराहे से हालसी रोड होते हुये परेड चौराहे के पहले तक, 4. बिरहाना रोड, मेस्टन रोड तथा लाटूश रोड।

(तीन) **'ब' वर्ग :–** 1. बकरमण्डी चौराहे से मेडिकल कालेज चौराहा होते हुए रावतपुर तक, 2. तिलकनगर, स्वरुपनगर व आर्यनगर क्षेत्र, 3. घन्टाघर चौराहे से किदवईनगर बाईपास तक, 4. किदवईनगर से बारादेवी रोड गोबिन्दनगर, चावला मार्केट क्रासिंग तक, 5. जरीब चौकी से विजयनगर क्रासिंग तक कालपी रोड, 6. विजयनगर से डबल पुलिया होते हुये रावतपुर क्रासिंग तक, 7. आई हास्पीटल सर्वोदयनगर से गोबिन्दपुरी पुल होते हुये बर्रा बाईपास क्रासिंग तक, 8. विजयनगर से सी0टी0आई0 नहर तक, 9. सी0टी0आई0 से चावला मार्केट तथा सम्पूर्ण गोविन्दनगर क्षेत्र, 10 गंगापुल जाजमऊ से रामादेवी होते हुए जी0टी0 रोड टाटमिल क्रासिंग होते हुए मेडिकल कालेज चौराहे तक, 11. लाल बंगला सम्पूर्ण क्षेत्र, तथा जाजमऊ सम्पूर्ण क्षेत्र 12. बजरिया, पी0रोड व 80 फिट रोड से कबाड़ी मार्केट तक।

(चार) **'स' वर्ग :–** 1. घन्टाघर से डिप्टी पड़ाव होते हुये जरीब चौकी क्रासिंग तक, 2. डिप्टी पड़ाव चौराहे से अफीम कोठी हमीरपुर रोड होते हुये नौबस्ता क्रासिंग, 3. विजयनगर क्रासिंग से पनकी बाईपास तक 4. रावतपुर चौराहे से जी0टी0रोड के माध्यम से गुरुदेव टाकीज क्रासिंग तक 5. हर्षनगर पेट्रोल पम्प से कोका कोला क्रासिंग होते हुये विजयनगर तिराहे तक।

(पाँच) **'द' वर्ग :–** ऐसे क्षेत्र जो ऊपर उल्लिखित नहीं हैं (प्रतिबन्धित क्षेत्रों को छोड़कर)

28– **हटाये जाने की लागत**

नियम–12 के उपनियम–(1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट को हटाने या साफ किये जाने की लागत निम्नवत होगी–

(क)	6.1 मी0 x 3.05मी0 या उससे कम किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट को हटाने की लागत	रु0 5000/–
(ख)	ऊपर खण्ड (क) में निर्दिष्ट विज्ञापनों या विज्ञापन पटों से भिन्न किसी विज्ञापन एवं विज्ञापन पट को हटाने की लागत	रु0 8000/–
(ग)	किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट को साफ करने की लागत	रु0 2000/–
(घ)	निजी भवन पर (छत के ऊपर) किसी विज्ञापन को हटाने की लागत	रु0 10000/–

29– **अपराधों के लिए दण्ड और उनका प्रशमन**

(1) इस नियमावली के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में, प्रथम उल्लंघन की दोष सिद्धि के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा, ऐसे जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) उपनियम(1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिए निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

(3) यदि विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा बार–बार नियमावली में दी गयी व्यवस्था के विपरीत कार्य किया जाता है तो उसका पंजीकरण निरस्त करते हुये उसे काली सूची में डाल दिया जायेगा तथा जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

आवश्यकता पड़ने पर नियमावलील में संशोधन– नियमावली में अन्य बातो के होते हुए भी यदि भविष्य में किसी नियम अथवा उसके किसी अंश में अथवा विज्ञापन कर की दरो संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो कार्यकारिणीसमिति/नगर निगम सदन उक्त नियमावली में संशोधन करने के लिये अधिकृत होगी/होगा।

प्रपत्र सं० .....
मूल्य रु० 500/–

अनुसूची – 1
(नियम 6(1) देखें)

विज्ञापन चिन्ह स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन–पत्र

ह0.....महापौर

1. आवेदक/विज्ञापनकर्ता का नाम .....
2. अभिकरण, प्रतिष्ठान, कम्पनी या संस्था का नाम .....
3. पता .....
4. आवेदित विज्ञापन या विज्ञापन पट का प्रकार .....
5. विज्ञापन या विज्ञापन पट का आकार (लम्बाई x चौड़ाई मी0 में) .....
6. स्थल नक्शा सहित स्थल की अवस्थिति .....
7. भूमि, भवन या स्थान के स्वामी या अध्यासी का नाम .....
8. क्या यह सार्वजनिक स्थल है या व्यक्तिगत भूमि या भवन है?.....
9. (एक) यदि व्यक्तिगत स्थल या भवन है तो स्वामित्व प्रमाण–पत्र के साथ भू/भवन स्वामी की लिखित अनुमति संलग्न की जाये।
   (दो) भू/भवन स्वामी द्वारा इस आशय का वचन पत्र, कि विज्ञापनकर्ता की चूक की दशा में यह देय कर के भुगतान का दायी होगा, संलगन करें।
   (तीन) नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित संरचना अभियन्ता द्वारा दिया गया भवन के भार वहन क्षमता सम्बन्धी रिपोर्ट
10.(एक) अनूसूची–2 के अनुसार वार्षिक कर.....
   (दो) किश्त की धनराशि .....
11.देय प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क.....
12. कोई अन्य विवरण .....
.....

संलग्नक :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर
दूरभाष नं०
मोवाइल नम्बर

विज्ञापन एजेन्सी दाता की घोषणा

मै शपथ पूर्वक घोषणा करता /करती हूँ कि मेरे द्वारा दिये गये सारे विवरण सही है मै नगर निगम कानपुर (समाचार पत्रो में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापन पर कर का निर्धारण व वसूली) नियमावली 2014 से भली भॉति अवगत हूँ। निगम स्वामित्व के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर विज्ञापन पट लगायें जाने हेतु मेरे द्वारा सम्बन्धित से अनुमति प्राप्त कर ली है। मेरे द्वारा विज्ञापन पट स्थल पर इस प्रकार लगाये जायेगें कि किसी प्रकार से यातायात में कोई बाधा उत्पन्न नही होगी। यदि मेरे द्वारा स्थापित विज्ञापन पट से किसी प्रकार की दुर्घटना होती है,तो उसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी। मेरे द्वारा दी गयी कोई सूचना असत्य पायी जाती है या नियमावली का उल्लंघन किया जाता है तो

ह0.....महापौर

नगर निगम को यह अधिकार होगा कि वह मुझे विज्ञापन की अनुमति न दे अथवा निरस्त कर दें या नियमानुसार कार्यवाही करें। मै शासन द्वारा जारी विज्ञापन कर/शुल्क के सम्बन्धित नीवनतम अधिनियम/शासनादेश तथा निगम निर्देशो का अनुपालन करने हेतु बाध्य रहूँगा।

घोषणकर्ता का नाम.....
हस्ताक्षर.....

(निजी भूमि व भवन पर विज्ञापन पट लगाये जाने की दशा में)
भूमि/भवन स्वामी की घोषणा

मै शपथ पूर्वक घोषणा करता /करती हूँ कि मेरी निजी भूभि व भवन पर लगे विज्ञापन पट के सम्बन्ध में किसी व्यतिक्रम की स्थिति में वह विज्ञापनकर्ता हेतु देय कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा। मेरे द्वारा सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी को विज्ञापन पट लगाने की लिखित अनुज्ञा स्वेच्छा से दी गयी है तथा नगर निगम सम्पत्ति कर नियमावली के अर्न्तगत निर्धारित देय सामान्य कर के भुगतान का दायी हूँगा। यदि मेरे भूमि/भवन पर स्थापित विज्ञापन पट से किसी प्रकार की दुर्घटना होती है,तो उसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी। नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विज्ञापन पट हटाने हेतु परिसर में प्रवेश का अधिकार होगा।

घोषणकर्ता का नाम.....
हस्ताक्षर.....

कानपुर नगर निगम

विज्ञापन एजेन्सियों का पंजियन/ नवीनीकरण हेतु आवेदन

पौर

अनुसूची –3

(नियम 5 देखें)

विज्ञापनकर्ताओ का पंजीकरण एवं नवीनीकरण

1 आवेदक का नामः–

2 विज्ञापन एजेन्सी/फर्म का नामः–

3 आवेदित श्रेणी.....

4. आवेदक का स्थायी पताः– .....

5. फर्म का पताः– .....

6. मोबाईल /टेलीफोन न0.....

7 फर्म का प्रकार(ासाझेदारी/एकल फर्म) :–

8. अधिकृत हस्ताक्षरी का नाम .....

9. आयकर पैन नम्बर.....

10. सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन न0.....

11. फर्म के बैक का नाम .....

12. बैक खाता सख्याः–.

13 विगत वर्ष के बकाया की स्थिति

14. पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क का विवरण .....(नकद/डिमान्ड ड्राफ्ट)

15. निर्धारित धरोहर धनराशि एन0एस0सी/राष्ट्रीयकृत बैको की सावधि जमा रसीद (एफ0डी0आर0) के रूप में जमा करना होगा। जो मुख्य वित एवं लेखाधिकारी,कानपर नगर निगम के नाम बन्धक होगी एवं जो रिफन्डवुल होगी का विवरण.....

मै/हम घोषित करता/करते है/हूॅ कि हमारा कोई निकट का सम्बन्धी नगर निगम कानपुर में किसी पद पर कार्यरत नहीं है। कार्य करने की दशा में उनका नाम मय पद तथा विभाग सहित नीचे दे रहा हूॅ/है।निकट सम्बन्धी से तात्पर्य (परिवार की परिभाषा के अर्न्तगत है)।

ह0.....महापौर

तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गयी समस्त सूचना पूर्ण रूप से सत्य है। कोई सूचना छुपाई नही गयी है। असत्य पाये जाने पर मेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा। मुझे निविदा एवं कार्य नियमावली का पूर्ण ज्ञान है एवं मै नियमावली एवं निविदा शर्तो के अनुसार कार्य करूँगा।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेरा श्रेणी.....में पंजीकृत/नवीनकरण करने का कष्ट करें।

(आवेदक के हस्ताक्षर/मोहर)
नाम :–
पता :–
कार्यरत दूरभाष संख्या :–

शर्तेः– (1) पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सियॉ अपने से एक श्रेणी निम्न में निविदा/आफर में भाग ले सकेगी परन्तु निम्न श्रेणी के पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सियॉ अपने से उच्च श्रेणी में निविदा/आफर में भाग नही ले सकेगी।

(2)यदि विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा बार–बार नियमावली में दी गयी व्यवस्था के विपरीत कार्य किया जाता है तो उसका पंजीकरण निरस्त करते हुये उसे काली सूची में डाल दिया जायेगा तथा जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

(3) विगत वित्तीय वर्ष की बकाया की स्थिति में विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण/नवीनीकरण अनुमन्य न होगा।

15. विज्ञापनकर्ताओं को चार वर्गो में वर्गीकरण किया गया है जो निर्धारित सीमा के अर्न्तगत ही कार्य करेगे।

श्रेणी	**विज्ञापन क्षेत्र वर्गमीटर में**	पंजीकरण शुल्क	धरोहर धनराशि	नवीनीकरण धनराशि
''अ''	1000 वर्गमीटर से अधिक	रू0 50.000.00 (पचास हजार)	2,00,000,00 (दो लाख रूपये)	रु030,000 (तीसहजाररूपये),
''ब''	600 वर्गमीटर तक	रू0 30.000.00 (तीस हजार)	1,50,000,00 (एक लाख पचास हजार रूपये)	रु0 20,000 (बीसहजाररूपये),
''स''	400 वर्गमीटर तक	रू0 20.000.00 (बीस हजार	1,00,000,00 (एक लाख रूपये)	रु0 10,000/– (दस हजार)
''द''	100 वर्गमीटर तक	रू0 15.000.00 (पन्द्रह हजार)	75,000,00 (पछत्तरहजार रूपये)	रू0 5000/– (पॉच हजार)

ह0.....महापौर

.अनुसूची–2

(नियम 26 देखें)

विज्ञापन और विज्ञापन पट पर कर की दरें

1. निगम द्वारा स्वामित्वाधीन ..... भूमि, दीवाल और भवन, सार्वजनिक स्थ्लों और सड़कों पर विज्ञापन या विज्ञापन पट के निर्माण और प्रदर्शन के लिए –

प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष प्रवर श्रेणीः		रू0 2500/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''अ'' श्रेणी	:	रू0 1700/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''ब'' श्रेणी	:	रू0 1400/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''स'' श्रेणी	:	रू0 1200/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''द'' श्रेणी	:	रु0 1000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

2. इलेक्ट्रानिक/एल0ई0डी0 अथवा अन्य डिजीटल माध्यम से प्रकाशित/संचालित विज्ञापनपटों हेतु (1) में निर्दिष्ट दरों पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त दरें देय होंगी।

3 (1) निजी भूमि/भवनों पर प्रदर्शित विज्ञापनों हेतु उपरोक्त (1) व (2) की 75 प्रतिशत धनराशि देय होगी।

4. ऐसे विज्ञापन या विज्ञापन पट जो विद्युत प्रकाश युक्ति (बैक लिट/फ्रन्ट लिट) द्वारा प्रतिबिम्बित हो तो मद (1) में विनिर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरें देय होगीं।

5. (1) शक्ति चालित चार पहिया वाहन पर विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)

हल्का वाहन	:	रू0 500/– प्रतिमाह प्रति वाहन या 5000 रूपया प्रतिवर्ष प्रति वाहन
भारी वाहन	:	रू0 2000/– प्रतिमाह प्रति वाहन या 20000 रूपया प्रतिवर्ष प्रति वाहन

(2) सड़क प्रदर्शन निम्नलिखित दर पर –

(एक) तीन पहिया	:	रू0 100/– प्रति दिन

ह0.....महापौर

(दो)	चार पहिया	:	रू0 500/– प्रति दिन
(तीन)	छः पहिया	:	रू0 1000/– प्रति दिन

6. यूनीपोल (एक स्तम्भ)

1.	प्रवर श्रेणी	:	रु0 4000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
2.	''अ'' श्रेणी	:	रु0 2800/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
3.	''ब'' श्रेणी	:	रु0 2300/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
4.	''स'' श्रेणी	:	रु0 1800/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
5.	''द'' श्रेणी	:	रु0 1500/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

.7 .विद्युत तथा अन्य खम्बों पर विज्ञापन पट –

	प्रवर श्रेणी	:	रू0 2500/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
	''अ'' श्रेणी	:	रू0 2000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
	''ब'' श्रेणी	:	रू0 1500/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
	''स'' श्रेणी	:	रू0 1200/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
	''द'' श्रेणी	:	रु0 1000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
8..	पोस्टर		रू0 300/– प्रति सैकड़ा
9.	परचा		रू0 600/– प्रति हजार
10	पताका (बैनर)		रू0 100/– प्रति बैनर
11..	गुब्बारे		रु0 500/– प्रति गुब्बारा प्रति दिन
12.	छतरी (कैनोपी)		रु0 500/– प्रति छतरी (कैनोपी) प्रतिदिन
13 .	ट्री गार्ड		मद(1) के अनुसार
14.	जन सुविधा स्थान पर विज्ञापन		मद(1) के अनुसार

15.पुलिस बूथ/ट्रैफिक आइलैण्ड/कैन्टीलीवर पोल (ट्रैफिक सिग्नल)

ह0.....महापौर

प्रवर श्रेणी	:	रु0 4500/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''अ'' श्रेणी	:	रु0 3500/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''ब'' श्रेणी	:	रु0 2500/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''स'' श्रेणी	:	रु0 1500/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''द'' श्रेणी	:	रु0 1000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

16. बस सायबान(बस शेल्टर)

प्रवर श्रेणी	:	रु0 4000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''अ'' श्रेणी	:	रु0 3000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''ब'' श्रेणी	:	रु0 2500/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''स'' श्रेणी	:	रु0 2000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''द'' श्रेणी	:	रु0 1000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

17. गैन्ट्री/कैन्टीलीवर पोल

प्रवर श्रेणी	:	रु0 3500/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
. ''अ'' श्रेणी	:	रु0 3000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
. 'ब'' श्रेणी	:	रु0 2500/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
. ''स'' श्रेणी	:	रु0 2000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
. ''द'' श्रेणी	:	रु0 1000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

18. आटो रिक्शा थ्री व्हीलर	:	रू0 1000/– प्रतिवर्ष प्रति आटो
19. बसो पर	:	रु0 2000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
20. दीवारो पर वॉल राइटिंग –		विज्ञापन कर की दर मद संख्या 1 के अनुसार

ह0.....महापौर

21. रेलवे की जमीन पर लगने वाली होर्डिंग जिस का भाग सड़क सम्मुख होने की दशा मे अनुसूची–2 में अंकित विज्ञापन की दरों के क्रमांक 1 के अनुसार देय होगा।

22. उत्सव, मेला, प्रदर्शनी, सर्कस तथा इस प्रकार जनता को आकर्षित करने वाले प्रदर्शन पर न्यूनतम 03 माह का विज्ञापन कर मद सं0–1 के अनुसार लिया जायेगा।

(क)रेडियो चैनल से उद्घोषणा द्वारा विज्ञापन दर – रु0 1.00 प्रति सेकेण्ड
23 ध्वनि विस्तारक यंत्र रु0 100/– प्रति बाक्स/स्पीकर प्रतिदिन

24. जिन मदों का उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, उनका विज्ञापन कर मद–1 के अनुसार देय होगा।

25. निजी भूमि / भवन पर स्ट्रैक्चर लगाने से पूर्व भवन की मजबूती , स्ट्रैक्चरल इंजीनियर से भवन की गुणवत्ता सुदृढीकरण का प्रमाण पत्र सम्बन्धित को प्रस्तुत करना होगा।.

26. इस अनुसूची के निर्दिष्ट कर की दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें यह नियमावली प्रवृत्त हुई हो, के दो वित्तीय वर्षों की समाप्ति के बाद 10 प्रतिशत तक बढ़ी हुई समझी जायेंगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगी।

27. कर अग्रिम रूप से संदेय योग्य होगा।

28. **स्वीकृत विज्ञापन पट/यूनीपोल/गैन्ट्री/कैन्टीलीवर के लिये जोनवार अलग–अलग रंग निर्धारित करके नगर निगम स्तर से चिन्हाकन करना अनिवार्य होगा।**

स्पष्टीकरण :

01. यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 3 माह से अधिक अवधि के लिए प्रदर्शित करना चाहता है तो नगर आयुक्त निर्देश दे सकते है कि कर मासिक आधार पर आगणित होगा सम्पूर्ण धनराशि एक बार में जमा करायी जाएगी।

02. कर के सभी अवशेष अधिनियम के अध्याय इक्कीस के अनुसार वसूली योग्य होंगे।

03. इसके अतिरिक्त भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित देय कर भी विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा देय होगे।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि विज्ञापन नियमावली लम्बित थी, परिणाम स्वरूप नगर निगम को राजस्व में हानि हो रही है, अतः इसे स्वीकृत किया जाये। साथ ही अपर नगर आयुक्त स्तर का अधिकारी नोडल अधिकारी बनाया जाये तथा क्षेत्रीय पार्षदों को भी सम्मिलित किया जाये,

क्योंकि कानपुर विकास प्राधिकरण की साजिश से कई जगह अवैध रूप से कैन्टीलीवर और लगभग 148 यूनीपोल शहर में खड़े है, जबकि सम्बन्धित फर्म के पक्ष में दी गई अनुमति भी संदेहास्पद है। वर्ष 2010 से 2015 तक लगी अवैध विज्ञापन पट एवं क्यास्क इत्यादि हटाये नही गये। इस प्रकार के लगे अवैध विज्ञापन पटों की तालिका अध्यक्ष महोदय को हस्तगत की गई। साथ ही यह भी कहा कि इनकी नियमों के अन्तर्गत जाँच कराई जाये। स्मार्ट सिटी के नाम पर किसी अन्य संस्था द्वारा कार्य न कराया जाये, जिस प्रकार जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना में नगर निगम नोडल एजेन्सी होने के बावजूद भी अस्तित्व में नही दिखी। नगर निगम की भूमि एवं सम्पत्तियों को सुरक्षित रखने हेतु उपाय किये जाये। क्योंकि नवीन मार्केट पूर्व में नगर निगम द्वारा विकसित किया गया, उसे आज कानपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से सौन्दर्यीकरण कराये जाने को प्रस्तावित किया जा रहा है।

अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि नवीन मार्केट नजूल भूमि है, जिसका स्वामित्व जिला प्रशासन में निहित है। मण्डलायुक्त की मंशा के अनुसार नवीन मार्केट के सौन्दर्यीकरण का कार्य कानपुर विकास प्राधिकरण से कराया जाना प्रस्तावित है। परन्तु हम सभी की दृढ़ इच्छा शक्ति से इसे जाने नही देंगे।

श्री कमल शुक्ल ''बेबी'' ने कहा कि नगर निगम का सबसे बड़ा आय का श्रोत विज्ञापन ही है, परन्तु शहर में हजारों अवैध होर्डिंग्स लगी है, जिससे करोड़ों की आय होने के स्थान पर अन्य लोग लाभान्वित हो रहे है। केस्को विभाग के लगभग शहर में 48000 विद्युत खम्भे लगे है, जिनमें छोटे–छोटे क्यास्क लगाकर विज्ञापन किये जा रहे है, यदि इसकी ही आय प्राप्त हो तो भी करोड़ों की धनराशि प्राप्त होगी। अतः विज्ञापन के सम्बन्ध में समिति बनाये जाने में क्षेत्रीय पार्षदों की सहभागिता सुनिश्चित की जाये, इससे वित्तीय अनियमितता रोकी जा सकेगी, साथ ही अवैध विज्ञापन एजेन्सियों के प्रति कार्यवाही भी की जा सकेगी।

श्री सत्येन्द्र मिश्र ने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वक्तव्य देने हेतु आप द्वारा व्यवस्था निर्धारित की जाये कि कौन–कौन सदस्य वक्तव्य देगा, जिससे सभागार मे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न उत्पन्न हो सके।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि कानपुर विकास प्राधिकरण का कार्यालय भी नगर निगम की भूमि पर है, परन्तु उसके द्वारा किराया नही दिया जाता है। मोतीझील स्थित म्यूजिकल फाउन्टेन में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मानक के विपरीत कार्य कराये जा रहे है, इसकी भी जाँच कराई जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि श्री नवीन पण्डित द्वारा विज्ञापन नियमावली से हटकर वक्तव्य दिया गया है, जो उचित नही है। भविष्य में अन्य सदस्य इसका ध्यान रखते हुये कार्यसूची के बिन्दुओं के प्रति ही विचार व्यक्त किये जाये।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने भी कहा कि पूर्व में गठित समिति में मैं भी सदस्य था, जिसमें गहनता से विचार किया जा चुका है, अतः इसे स्वीकृत किया जाना चाहिये।

श्री आदर्श दीक्षित ने भी कहा कि मैं भी पूर्व गठित समिति का सदस्य रह चुका हूँ नौ महीने पूर्व सुझाव दिये जा चुके है, परन्तु आज तक लागू नही किये गये है, जो चिन्ताजनक है। अतः अनुरोध है भविष्य में संवेदनशील मामले जो नगर निगम के राजस्व प्राप्त होने से सम्बन्धित हो, उन्हें शीघ्र लागू कराया जाये। इसी कड़ी में विज्ञापन नियमावली को भी स्वीकृत किया जाये।

अध्यक्ष ने अवगत कराया कि पूर्व राष्ट्रपति डा0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के दिवंगत होने के कारण पूर्व में आहूत सदन की बैठक स्थगित होने के कारण तथा नवरात्रि इत्यादि पर्व आ जाने के कारण विलम्ब से सदन की बैठक आहूत की गई है, जो परिस्थिति जन्य विलम्ब है। पुरानी दरों से विज्ञापन शुल्क वसूला जा रहा है।

श्री अशोक चन्द्र तिवारी ने कहा कि श्री कमल शुक्ल ''बेबी'' के वक्तव्य, जिसमें केस्कों के लगभग 48000 विद्युत खम्भों के होने के लिये कहा गया है, से इक्तिफाक नही रखता हूँ। खम्भों पर 4''x4'' के जो विज्ञापन पट लगवाये है, यह शहर के लिये अशोभनीय है, जबकि स्मार्ट सिटी का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व में तत्कालीन नगर आयुक्त श्री डी.के.सिंह द्वारा दीवारों पर लिखे विज्ञापनों पर भी पुताई कराई गई थी। अतः नगर निगम व केस्कों के खम्भों में विज्ञापन पर प्रतिबन्ध लगाया जाये।

अध्यक्ष ने अवगत कराया कि नगर निगम ने एक नगर आयुक्त के चले जाने पर उसके निर्णयों, निर्देशों का अनुपालन नही किया जाता है, जबकि लिये गये निर्णय नीतिगत एवं नियमान्तर्गत होते है, यह आपत्तिजनक है। अतः नगर निगम द्वारा दीवारों, खम्भों पर किये गये विज्ञापनों पर सम्बन्धित एजेन्सियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये और सख्ती से पारित निर्णय का अनुपालन किया जाये। जोनल अधिकारियों द्वारा बिना अनुमति के लगे विज्ञापन पट (यूनीपोल, कैन्टीलीवर, क्यास्क इत्यादि) तत्काल हटाते हुये सम्बन्धित एजेन्सी से जुर्माना वसूला जाये।

श्री मो0 शमीम आजाद ने कहा कि नगर निगम को विज्ञापन के माध्यम से अकूत धनराशि प्राप्त हो सकती है, परन्तु विभागीय साँठ–गाँठ से अवैध होर्डिंग्स नही हटाई जा रही है।

श्री सत्येन्द्र मिश्र ने कहा कि कानपुर महानगर में चाहे विभाग की, राजनीतिक या अन्य एजेन्सियों की अवैध होर्डिंग्स चारो तरफ लगी है। सदन में पारित निर्णय के तहत आज से ही शपथ ली जाये कि अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत क्षेत्र में जाकर ऐसी होर्डिंग्स को हटवाया जाये, साथ ही नगर निगम द्वारा हटाई जा रही अवैध होर्डिंग्स में सहयोग प्रदान किया जाये। यदि जोनल अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय पार्षदों के बताये जाने पर कार्यवाही नही की जाती है तो उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जाये। जिन लोगो ने विज्ञापन हेतु नगर निगम को आवेदन किया है, परन्तु नगर निगम से अनुमति न मिलने के कारण 06 महीने तक इधर–उधर चक्कर लगाया करते है, इस पर भी जवाबदेही निर्धारित की जाये। कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 25 वर्षो के लिये विज्ञापन एजेन्सियों को अनुमति दी गई है, इसके विपरीत नगर निगम द्वारा विज्ञापन एजेन्सियों के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में सुनवाई हेतु किसी को नही भेजा जाता है। इससे राजस्व की विगत कई वर्षो से हानि हो रही है। नगर निगम के विभागों द्वारा मैन

पावर न होने की बात कही जाती है, तो क्षेत्रीय पार्षदों का सहयोग लिया जाये, हम सभी मिल कर पैरवी करने के लिये तैयार है। सामान्य कर में प्रस्तावित वृद्धि के स्थान पर विज्ञापन शुल्क वसूलने पर जोर दिया जाये, साथ ही कर परिधि के बाहर भवनों को कर की परिधि में लाया जाये।

श्री योगेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में लगी अवैध होर्डिगों पर कार्यवाही न किये जाने पर जोनल अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

अध्यक्ष ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि आपकी भावनाओं के अनुसार नगर निगम द्वारा कार्यवाही कराई जायेगी। धार्मिक पर्वो के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में लगाई गई होर्डिगों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के बिना अनुमति के लगाये गये विज्ञापनों को तत्काल हटवाया जाये।

श्री संदीप जायसवाल ने कहा कि बिना नगर निगम की अनुमति के होर्डिंग्स न लगने दी जाये।

श्री अभिषेक गुप्ता ''मोनू'' ने कहा कि जोनल अधिकारियों की जिम्मेदारी/जवाबदेही तय की जाये। उक्त के क्रम में अवगत कराना चाहता हूँ कि जोनल अधिकारियों के पास उनके खण्ड में लगी होर्डिंगों के सम्बन्ध में जानकारी माँगने पर तालिका उपलब्ध नही कराई जाती है। रेलवे ट्रैक पर लगी होर्डिंगों के सम्बन्ध में भी व्यवस्था दी जाये।

श्री गिरीश चन्द्रा ने कहा कि विज्ञापन पट लगाये जाने की अनापत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल किया जाये तथा खम्भों के माध्यम से एजेन्सियों द्वारा भवन स्वामियों को उपलब्ध कराये गये केबिल कनेक्शनों के सम्बन्ध में भी नीति निर्धारित की जाये।

..... उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के सहित स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–158–</u> कार्यकारिणी समिति की दिनांक 22.06.15 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 1033 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करना :

नगर आयुक्त के पत्र संख्याःडी/ 37 /न.आ./प्रो.सेल/ 2015–16 दिनांकः 17जून, 2015 को मा. कार्यकारिणी के माध्यम से मा. सदन की स्वीकृति हेतु।

<u>:–प्रस्ताव–:</u>

कानपुर नगर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना के अन्तर्गत पनकी भवसिंह में प्रसंस्करण प्लान्ट की स्थापना का कार्य जेएनएनयूआरएम योजना में कराया गया था, परन्तु कार्य हेतु अनुबन्धित फर्म मेसर्स ए2जेड इन्फ्रा. लि. द्वारा विगत 15 माह से कार्य बन्द कर देने के कारण उक्त स्थल पर अत्यधिक मात्रा में कूड़ा एकत्र हो गया है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ी है। **मेसर्स सीबरी ग्रीन एनर्जी प्रा. लि., मैसूर** के प्रबन्ध निदेशक ने नगर निगम द्वारा संदर्भित स्थल तक पहुँचाये जा रहे कूडे को प्रसंस्कृत कर इससे एनर्जी उत्पादन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैः–

1. मे. सीबरी ग्रीन एनर्जी प्रा. लि., मैसूर द्वारा कूडें के प्रसंस्करण हेतु कोई भी शुल्क अथवा टिपिंग फी नगर निगम से वसूली नही जायेगी। नगर निगम को स्थल पर मात्र कूड़े को पहुँचाना होगा।
2. 1200 मीट्रिकटन कूडें के निस्तारण हेतु 10 एकड भूमि की आवश्यकता होगी, जो नगर निगम द्वारा लीज पर संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
3. लीज अवधि 25 वर्ष होगी। 25 वर्षों की समाप्ति पर स्थापित किये जाने वाले प्लान्ट को संस्था द्वारा नगर निगम को हस्तगत कर दिया जायेगा।
4. एनर्जी के निर्माण में प्लाजमा तकनीक का प्रयोग किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत प्लाजमा गैसीफायर के माध्यम से कूडें को अत्यधिक उच्च तापक्रम पर नियन्त्रित प्रक्रिया के अनुसार जलाकर सिनगैस का उत्पादन किया जायेगा, जिसका प्रयोग एनर्जी पैदा करने में होगा एवं इस प्रक्रिया में कोई भी गैस वातावरण में नहीं आयेगी।
5. प्लान्ट पर स्थापित किये जाने वाले बायलर हेतु पानी की व्यवस्था भी संस्था द्वारा स्वयं उक्त प्रक्रिया से की जायेगी।
6. संस्था द्वारा उम्पादित एनर्जी को उ.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड को विक्रय किया जायेगा एवं इस हेतु समस्त कार्यवाही– अनुबन्ध आदि संस्था द्वारा अपने स्तर से सम्पादित किये जायेंगे।
7. वर्तमान में स्थल पर उपलब्ध कूडें का प्रसंस्करण भी संस्था द्वारा किया जायेगा।
8. कूडें के प्रसंस्करण के दौरान कूडें में उपस्थित अज्वलनशील तत्वों– निर्माण सामग्री व अन्य को पृथक कर दिया जायेगा, जिसका प्रयोग नगर निगम द्वारा सड़क निर्माण या लैण्डफिल हेतु किया जा सकेगा।
9. लीज अनुबन्ध, उ.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड से Power Purchase Agreement (PPA), EIA एवं अन्य समस्त clearances के प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्लान्ट का निर्माण लगभग 12 माह में पूर्ण कर लिया जायेगा। वर्तमान में कूडें के प्रसंस्करण के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही प्रगति पर नहीं है एवं लगातार एकत्र हो रहे कूडें के कारण भविष्य में जनमानस पर इसका सीधा असर पडने की सम्भावना से इंकार भी नहीं किया जा सकता है, अतः पर्यावरण सुरक्षा के साथ–साथ जनमानस के स्वास्थ्य के दृष्टिगत उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रस्ताव, जिसमें नगर निगम को कोई वित्तीय भार भी वहन नहीं करना है, कार्य हेतु **लीज पर दी जाने वाली 10 एकड भूमि की सांकेतिक लीज दरें निर्धारित करने एवं प्रस्ताव को मा. सदन से स्वीकृत कराये जाने हेतु मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।**

अध्यक्ष ने कहा कि प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूँ कि इसको स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि ए–टू–जेड की भाँति अचानक शहर से कूड़ा उठान बन्द किये जाने से शहर के कूड़ा उठान में किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव न पड़ें। अतः नामित कम्पनी से अनुबन्ध करते समय यह ध्यान रखा जाये कि किन्हीं भी परिस्थितियों में वार्डो से कूडा उठान बन्द नही किया जायेगा। प्रतिदिन शहर से 1200 टन कूड़ा निकलता है, उस कूड़े से बिजली व खाद्य का उत्पादन तथा अन्य सामग्री की उत्पादन प्रक्रिया भी सुनिश्चित कर ली जाये, जिससे शहर से निकले कूड़े का सदुपयोग किया जा सके। ए–टू–जेड द्वारा अचानक कूड़ा उठान बन्द किये जाने पर नगर निगम को अपने संसाधनों से विभिन्न क्षेत्रों से कूड़ा उठाना पड़ रहा है। अतः नामित कम्पनी से अनुबन्ध करते समय ध्यान रखा जाये कि नगर निगम

अपने उपकरणों/वाहनों से कूड़ा उठायेगा और एजेन्सी को प्लान्ट पर देगा। नगर के भीतर नगर निगम स्वयं कूड़ा उठायेगा एवं एजेन्सी का कोई हस्तक्षेप इसमें नही होगा, जिससे भविष्य में एजेन्सी की विफलता के कारण नगर निगम को कूड़ा उठाने में कठिनाई न हो और नगर की सफाई व्यवस्था बाधित न हो।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि ए–टू–जेड की तरह यदि नामित संस्था द्वारा अचानक कूड़ा निस्तारण करना बन्द कर दिया जाये तो दण्ड की धनराशि का भी प्राविधान किया जाये।

श्री राजेन्द्र कटियार ने कहा कि मेरे वार्ड–27 में विगत 15 अगस्त को घोषणा की गई थी कि घर–घर से कूड़ा उठान सुनिश्चित किया जायेगा, परन्तु ऐसा नही हो रहा है। ग्रामीण इलाकों से भी कूडा उठाने तथा साफ–सफाई की व्यवस्था की जाये। गाँव में भी चारों तरफ गन्दगी व्याप्त है। जहाँ पर कूड़ा डम्प किया जा रहा है वहाँ के आस–पास के गाँवों का पानी दूषित हो गया है, कूड़ा जलाने से धुंए का गुब्बार उठता है, इससे जन जीवन प्रभावित हो रहा है। अतः कूड़े का उठान एवं निस्तारण के सम्बन्ध में ग्रामीण अंचलों की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाये।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि समय से कूड़ा उठान न होने के कारण कानपुर नगर में प्रतिदिन लगभग 1800 टन कूड़ा निकल रहा है, जिसका 75 प्रतिशत ही उठ पा रहा है, परिणाम स्वरूप शेष कूड़ा गलियों व सड़कों में फैल रहा है, जिससे चारो तरफ गन्दगी फैल रही है। अवस्थापना सुविधाओं को गैर सरकारी संस्थाओं (N.G.O.) से न जोड़ा जाये, क्योंकि परिवर्तन नामक इत्यादि संस्थाओं का इसके माध्यम से केवल धन एकत्रीकरण का फण्डा परिलक्षित होता है। अतः यदि अन्य कोई संस्था ने प्रस्ताव दिया हो तो कूड़ा निस्तारण के सम्बन्ध में उसके प्रस्ताव पर भी विचार कर लिया जाये।

अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि आपके सुझाव पर अमल करते हुये विभिन्न क्षेत्रों के कूड़ें को नगर निगम द्वारा डम्पिंग ग्राउण्ड तक पहुँचाया जायेगा तथा शहर के प्राइवेट सोसाइटी क्षेत्रों में स्थलों के गड्ढे भरने में भी प्रयोग किया जायेगा। नये कूड़ा घर बनाकर सड़कों में कूड़ा फैलने से रोका जायेगा।

..... उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के सहित स्वीकृति प्रदान की गई।

भोजनावकाश हेतु अपरान्ह 02:05 मिनट पर बैठक की कार्यवाही स्थगित की गई।

ह0.....महापौर

.....

अपरान्ह 03:00 बजे बैठक की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई ।

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 22.06.15 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 1085 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करना :

मा0 कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा0 सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित आगणन स्वीकृति में

प्र0सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय
159	जोन–4 वार्ड 65 के अन्तर्गत प्रेम नगर स्कूल की दुकानों के ऊपर बारातशाला के प्रथम तल का विस्तार कार्य।	राज्य वित्त आयोग (5 प्रति0)	29,99,028.00				स्वीकृति प्रदान की गई

क्रमांक–05 कार्यकारिणी समिति की दिनांक 22.06.15 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 1086 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करना :

मा0 कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा0 सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित निविदा स्वीकृति में

प्र0सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय
160	जोन–4 वार्ड 65 के अन्तर्गत प्रेम नगर स्कूल की दुकानों के ऊपर बारातशाला के प्रथम तल एवं द्वितीय तल का विस्तार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	29,99,028.00	29,97,529.00	आगणन दर से 0.05 प्रतिशत निम्न	मे0 आनन्द शेखर बाजपेई	स्वीकृति प्रदान की गई

क्रमांक–06 कार्यकारिणी समिति की दिनांक 22.06.15 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 1089 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करना :

<u>प्रस्ताव संख्या–161</u> नगर आयुक्त के पत्र संख्या–डी/20/अ0अ0–6 दिनांक 06.04.2015 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5)के अर्न्तगत सूचनार्थ प्रेषित।

<u>प्रस्ताव</u>

जोन–6 वार्ड –63 गीता नगर के अर्न्तगत श्री हरीनाम के मकान से साहूराम भारतीय के मकान तक नाली एवं सड़क का सुधार कार्य हेतु आगणन धनांक 29,95,724.00 का बनाया गया है। जिसे बजट हेड राज्य वित्त आयोग से कराया जाना प्रस्तावित है।जनहित में कार्य का कराया जाना आवश्यक है।

अवएव उक्त आगणन धनांक रू0 29,95,724.00 के व्यय की स्वीकृति हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के माध्यम से नगर निगम सदन से अपेक्षित है।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

क्रमांक–07 कार्यकारिणी समिति की दिनांक 22.06.15 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 1113 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करना :

<u>प्रस्ताव संख्या–162</u> नगर आयुक्त महोदय के पत्र सं0 डी / 73 / सी0सी0/एफ/2015–16 दि0– 13.05.2015 के अन्तर्गत नगर निगम की धारा 132(3) के अन्तर्गत मा0 कार्यकारिणी के समक्ष सूचनार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।

<u>प्रस्ताव</u>

नगर निगम सीमान्तर्गत आने वाले वार्डो में मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु नगर निगम निधि से 02 नग जीप माउण्टेड फागिंग मशीनों को कय्र करने हेतु आमन्त्रित निविदा दिनांक 31.03.15 को प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम दरदाता फर्म मेसर्स रायल ट्रेड लिंक्स प्रा0 लि0 , नई दिल्ली से (निविदा शर्तो के आधार पर) प्रति मशीन रूपया 11,02,500.00 की दर से 02 नग मशीनों के कय्र करने हेतु कुल रूपया 22,05,000.00 (रूपया बाइस लाख पॉच हजार मात्र) के व्यय की स्वीकृति/अनुमोदन मा0 कार्यकारिणी/सदन की स्वीकृति की प्रत्याशा में नगर आयुक्त/मा0 महापौर जी द्वारा दिनांक 24.04.2015 प्रदान की गई है।

मा0 कार्यकगारिणी/सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित है।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

ह0.....महापौर

क्रमांक–08 कार्यकारिणी समिति की दिनांक 22.06.15 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 1114 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करना :

<u>प्रस्ताव संख्या–163</u> नगर आयुक्त महोदय के पत्र सं0 डी / 107 / सी0सी0 / एफ / 2015–16 दि0– 28.05.2015 के अन्तर्गत नगर निगम की धारा 132(3) के अन्तर्गत मा0 कार्यकारिणी के समक्ष सूचनार्थ / स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।

<u>प्रस्ताव</u>

नगर में मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु प्रत्येक जोन में दो–दो नग जीप माउण्टेड फागिंग मशीनों को उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम निधि से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में आमन्त्रित निविदा दिनांक 07.04.2015 को न्यूनतम दरदाता फर्म मेसर्स रायल ट्रेड लिंक्स प्रा0 लि0 गोविन्दपुरी , नई दिल्ली के पक्ष में 02 नग जीप माउण्टेड फांगिग मशीन की आपूर्ति हेतु निर्गत कार्यादेश संख्या– डी / 23 / प्र0अ0(वर्क0) / एफ / 2015–16 दिनांक 25.04.2015 के अुनसार वर्तमान में पुनः दो नग जीप माउण्टेड फांगिग मशीनो को क्रय करने हेतु पूर्व स्वीकृत दर पर प्रति मशीन रूपया 11,02,500.00 कुल रूपया 22,05,000.00 (रूपया बाइस लाख पॉच हजार मात्र) के व्यय भुगतान की स्वीकृति / अनुमोदन मा0 कार्यकारिणी / सदन की स्वीकृति की प्रत्याशा में नगर आयुक्त / मा0 महापौर जी द्वारा क्रमशः दिनांक 25.05.2015 दिनांक 27.05.15 को मेसर्स रायल ट्रेड लिंक्स प्रा0लि0 , गोविन्दपुरी, नई दिल्ली के पक्ष में प्रदान क प्रदान की गई है।

मा0 कार्यकगारिणी / सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित है।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

क्रमांक–09 कार्यकारिणी समिति की दिनांक 22.06.15 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 1138 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करना :

<u>प्रस्ताव संख्या–164</u>– नगर स्वास्थ्य अधिकारी (चि0) द्वारा प्रस्तुत एवं नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

प्रस्ताव

नगर आयुक्त महोदय को सम्बोधित डा0 एस0पी0सिंह यादव, चिकित्सक दै0वे0 एवं 03 अन्य दै0वे0 चिकित्सकों के पत्र के साथ द्वारा मा0 महापौर को सम्बोधित श्री सतीश कुमार निगम, मा0 विधायक, समाजवादी पार्टी के पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चिकित्सा विभाग में कार्यरत दै0वे0 चिकित्सकों के दैनिक भत्ते में वृद्धि किये जाने के लिये उचित प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी से अनुमोदित कराने के लिये लिखा गया है। दै0वे0 चिकित्सकों ने अपने पत्र के साथ में जिस शासनादेश का उल्लेख किया है **वह राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन0यू0एच0एम0 फ्लैक्सीपूल) से सम्बन्धित पत्र है जिसके कोड सं0 4.3.3.1.1–में मेडिकल आफीसर की सैलरी का**

उल्लेख है, जिसके अनुसार फुल टाइम संविदा चिकित्सकः– इन अरबन हेल्थ पोस्ट में पूर्व से कार्यरत 01 एम.बी.बी.एस. संविदा चिकित्सक के मानदेय हेतु रू0 39,600.00 प्रतिमाह प्रति संविदा चिकित्सक की दर से स्वीकृत है। यह शासनादेश नगर निगम में कार्यरत दै0वे0 चिकित्सकों पर लागू नही होता है।

यहाँ पर यह भी कहना उचित होगा कि चूँकि नगर निगम, कानपुर में कार्यरत दैनिक वेतन चिकित्सक का भत्ता बढ़ाये जाने सम्बन्धी शासनादेश सं0 488/89–7–09–10सी0क्यू/01 दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 शासन (विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग–7) द्वारा जारी किया गया है, अस्तु भविष्य में इनके भत्ते में जो भी वृद्धि हो सकती है वह शासन के निर्देश से ही की जा सकती है।

श्री एस0पी0सिंह यादव चिकित्सक दै0वे0 एवं 03 अन्य दै0वे0 चिकित्सकों के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार करने के लिये मा0 कार्यकारिणी समिति/मा0 सदन के माध्यम से दैनिक भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव पारित करवा कर शासन को विचारार्थ प्रेषित किये जाने हेतु टेबुल प्रस्ताव प्रस्तुत है, जिसमें मा0 कार्यकारिणी वर्तमान में इन चिकित्सकों को प्राप्त हो रहे रू0 400.00/– (रू0 चार सौ) प्रतिदिन से अधिक वृद्धि पर प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

..... वर्तमान में महंगाई के दृष्टिगत दैनिक वेतन चिकित्सको को रू0 400/– प्रतिदिन के स्थान पर रू0 700/– प्रतिदिन दैनिक भत्ता दिये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–165

संख्या–861/9–1–2015–309सा/2013

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

ह0.....महापौर

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 27 फरवरी,2015

विषयः वेतन समिति 2008 के बारहवें प्रतिवेदन के माध्यम से नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के लिपिकीय संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008)द्वारा बारहवें प्रतिवेदन के माध्यम से की गयी संस्तुतियों के अनुक्रम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे.आ.–2–308/दस–54(एम)/2008टी.सी. दिनांक–31 मई,2013 द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रम में उ.प्र. नगरीय स्थानीय निकायों के लिपिकीय संवर्ग के वर्तमान ढांचे की व्यवस्था को दिनांक 31 मई,2013 से निम्नानुसार इस प्रतिबंध के अधीन पुनर्गठित /संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि इस पुनर्गठन एवं वेतनमान संशोधन से आने वाले व्ययभार को सम्बन्धित निकाय अपने स्रोतों से वहन करेंगे एवं इस हेतु शासन से कोई अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगीः–

(क) अकेन्द्रीयित सेवा

क्र.सं.	वर्तमान व्यवस्था		पुनर्गठन के उपरान्त संशोधित व्यवस्था	
1	पदनाम/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन 2	अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया 3	पदनाम/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन 4	अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया 5
	द्वितीय श्रेंणी लिपिक ग्रेड 2 (टंकक सहित)प्रधान लिपिक श्रेंणी–4/वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0–1900/–	80 प्रतिशत सीधी भर्ती अर्हता–इण्टरमीडिएट हिन्दी टंकण 25 शब्द प्रतिमिनट,अंग्रेजी टंकण ज्ञान अतिरिक्त योग्यता।20 प्रतिशत चतुर्थ श्रेंणी से प्रोन्नति	कनिष्ठ लिपिक/वेतन बैण्ड–1एवं ग्रेड वेतन रू0–2000/–	80 प्रतिशत सीधी भर्ती अर्हता–इण्टरमीडिएट के साथ–साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण पत्र तथा हिन्दी/अंग्रेजी में क्रमशः कम से कम 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति रखते हों। 15 प्रतिशत निकाय के ऐसे चतुर्थ श्रेंणी के कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो हाईस्कूल हों तथा टंकण का ज्ञान रखते हों,से भरा जाय। 05 प्रतिशत निकाय के ऐसे चतुर्थ श्रेंणी के कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो इण्टरमीडिएट हों तथा टंकण का ज्ञान रखते हों,से भरा जाय।

ह0.....महापौर

2	लिपिक ग्रेड–1/प्रथम श्रेंणी लिपिक/जन्म मृत्यु लिपिक/टंकण,टंकण ग्रेड –1/वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0–2000/–	द्वितीय श्रेंणी लिपिक से प्रोन्नति द्वारा	वरिष्ठ लिपिक/वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400/–	कनिष्ठ लिपिक से प्रोन्नति द्वारा

(ख) केन्द्रीयित सेवा

क्र.सं.	वर्तमान व्यवस्था		पुनर्गठन के उपरान्त संशोधित व्यवस्था	
	पदनाम(पदों की संख्या)/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया	पदनाम(पदों की संख्या)/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया
1	2	3	4	5
1	प्रधान लिपिक श्रेंणी–3/वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900/–	सीधी भर्ती अर्हता –स्नातक	कनिष्ठ लिपिक/वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0–2000/–	80 प्रतिशत सीधी भर्ती अर्हता–इण्टरमीडिएट के साथ–साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण पत्र तथा हिन्दी/अंग्रेजी में क्रमशः कम से कम 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति रखते हों। 15 प्रतिशत निकाय के ऐसे चतुर्थ श्रेंणी के कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो हाईस्कूल हों तथा टंकण का ज्ञान रखते हों,से भरा जाय। 05 प्रतिशत निकाय के ऐसे चतुर्थ श्रेंणी के कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो इण्टरमीडिएट हों तथा टंकण का ज्ञान रखते हों,से भरा जाय।
2	प्रधान लिपिक श्रेंणी –2/वेतन बैण्ड–1	पदोन्नति द्वारा स्नातक	वरिष्ठ लिपिक/वेतन बैण्ड–1एवं ग्रेड	कनिष्ठ लिपिक से पदोन्नति द्वारा

	एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/–		वेतन रू0–2400/–	
3	प्रधान लिपिक श्रेंणी –1/वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400/–	पदोन्नति द्वारा स्नातक	वरिष्ठ सहायक/वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0–2800/–	वरिष्ठ लिपिक से पदोन्नति द्वारा
4	कार्यालय अधीक्षक/वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0–2800/–	पदोन्नति द्वारा स्नातक	कार्यालय अधीक्षक/वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0–4200/–	वरिष्ठ सहायक से पदोन्नति द्वारा

2– उपर्युक्त संवर्गीय पुनर्गठन के फलस्वरूप उच्च ग्रेड वेतन के पदों के सापेक्ष समायोजित होने वाले पदधारकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–841/दस–2009–59(एम)/2008 दिनांक 24 दिसम्बर,2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

3– उपर्युक्त व्यवस्था का समावेश सम्बन्धित सेवा नियमावली में यथाशीघ्र कर लिया जायेगा।

4– उपर्युक्त शासनादेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–115/✕–2015,दिनांक 13 फरवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या–861(1)/9–1–2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार,लेखा (प्रथम),उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. लोक सेवा आयोग, उ0प्र0,इलाहाबाद।
3. समस्त नगर आयुक्त,नगर निगम,उत्तर प्रदेश।
4. समस्त महाप्रबन्धक ,जल संस्थान ,उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतें,उत्तर प्रदेश।
6. वित्त(वेतन आयोग)अनुभाग–1/2 को तीन–तीन प्रतियों में।
7. वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग–8
8. कार्मिक अनुभाग–1/2
9. नगर विकास अनुभाग–4
10. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

ह0.....महापौर

आज्ञा से,

(बिहारी लाल काने)
अनु सचिव।

..... उपरोक्तानुसार अनुपालन हेतु पढ़ा गया।

अध्यक्ष ने कहा कि बैठक की कार्यवाही में सदस्यों द्वारा विचारों के माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्यायें उठाई गई। सभागार में उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि तदानुसार नोट करते हुये उनका समाधान सुनिश्चित किया जाये तथा पारित निर्णयों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये। पदेन सदस्य के रूप में उपस्थित मा0 विधायकगणों को भी निर्देशित किया जाता है कि 74वें संविधान संशोधन को लागू करने तथा प्राइवेट सोसाइटी क्षेत्रों में विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया जाये। इसके साथ ही श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया को अपने वक्तव्य व्यक्त करने के लिये कहा।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया ने कहा कि शहर के प्रथम नागरिक द्वारा दिये गये प्यार के लिये धन्यवाद्। साथ ही अवगत कराना चाहता हूँ कि 74वें संविधान संशोधन को लागू करने तथा सोसाइटी क्षेत्रों विकास कार्य कराने के लिये प्रदेश स्तर में मैंने कई बार बात उठाई है। नजूल, उसर एवं ग्राम समाज की भूमि के कारण विकास कार्य उलझ गये है। रजिस्ट्रार आफिस में सोसाइटी रजिस्टर्ड है परन्तु भू अभिलेखों में कोई–कोई सोसाइटी ही अंकित है। परिणाम स्वरूप विभिन्न सोसाइटियों द्वारा भूमि को कई टुकड़ों में काटकर आवंटित की गई है। वहाँ पर गाँव से किसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये आकर बस गये है। वहाँ रह रहे लोग बल्ली–बांस के माध्यम से तार डालकर बिजली का प्रयोग कर रहे है। इन भवन स्वामियों द्वारा हाउस टैक्स भी दिया जा रहा है। रजिस्ट्री कराने की धनराशि में कुछ अंश विकास कार्यो हेतु समाहित रहता है। सरकार शौचालय बनवा रही है। नगर निगम द्वारा जल निकासी की भी व्यवस्था कराई जा रही है, परन्तु सफाई की व्यवस्था न होने के कारण गन्दगी के परिणाम स्वरूप बीमारियां फैलने से मौतें हो रही है। सरकारी जमीन का चिन्हांकन कराकर विकास कार्य कराया जाये। मैंने इन क्षेत्रों में विकास के लिये शासन में अनेकों बार अवाज उठाई तथा विधान सभा में प्रश्न भी किया, तद्नुक्रम में नगर निगम द्वारा शासनादेश का उल्लेख करते हुये उत्तर प्रेषित किया जाता है कि सोसाइटी क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा कार्य कराया जाना सम्भव नही है। सफाई कर्मियों की कमी के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष सफाई कर्मियों की नियुक्ति किये जाने की आवाज उठाऊँगा। क्योंकि जब मानव बल ही नही होगा तो शासन व प्रशासन की कार्य प्रणाली प्रभावित होगी।

ह0.....महापौर

अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि किसी भी दल की सरकार रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पाटी, समाजवादी पार्टी किसी ने भी 74वें संविधान संशोधन को लागू करने के सम्बन्ध में निर्णय नही लिया है। अतः किसी एक दल पर दोष नही दिया जा सकता है। यदि 74वाँ संविधान संशोधन लागू कर दिया जाये, तो कानपुर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में असीमित वृद्धि हो जायेगी।

श्री अतुल त्रिपाठी ने कहा कि अध्यक्ष महोदय आपने नगर निगम की समस्याओं को उठाने के लिये पदेन सदस्यों मा0 विधायकों से आशा करते है तत्सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि निर्वाचित मा0 विधायक अपनी निधि मुख्य विकास अधिकारी के यहाँ उपलब्ध कराते हुये विद्यालय भवन निर्माण या अन्य कार्यो में अपनी इच्छानुसार विकास कार्य कराते है, जबकि नगर निगम सदन में केवल भाषण देकर चले जाते है। नगर निगम को अपनी निधि का एक रूपया भी नही देते है, परन्तु दबाव एवं प्रभाव दोनो का प्रयोग करते हुये मनमाने ढंग से विकास कार्य नगर निगम से करवाते है। गृहकर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में सुझाव देना चाहता हूँ कि आवासीय भवनों का जहाँ व्यवसायिक प्रयोग हो रहा है, उनसे व्यवसायिक कर तथा जो भवन कर की परिधि में न हो उनको कर की परिधि में लाया जाये। नर्सिंग होम्स, गेस्ट हाउस तथा बहुखण्डीय भवनों में करारोपण सुनिश्चित किया जाये। जलकल विभाग द्वारा मे0 सिक्योर कम्पनी के माध्यम से जो हैण्डपम्प लगवाये गये है, उनसे एक घण्टे भी पानी नही आया। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि इस कम्पनी द्वारा कितने हैण्डपम्प लगाये गये और कितने का भुगतान किया गया, यदि भुगतान नही किया गया है तो कम्पनी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? जलकल विभाग में एक सुपर सकर मशीन क्रय की गई, जो सफेद हाथी बनकर खड़ी है, जिसको चलाने हेतु किसी भी कर्मचारी को प्रशिक्षण नही दिया गया है कुछ समय पूर्व तक इसे कम्पनी के प्राइवेट चालक द्वारा चलवाया जा रहा था परन्तु वर्तमान में उसका प्रयोग सीवर सफाई में नही किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में जवाबदेही तय की जाये। जलकल विभाग में मानव बल की कमी के लिये कहा जाता है, यदि की कार्य की विफलता में किसी को दण्डित करने का प्राविधान है तो उत्कृष्ट कार्य के लिये पुरस्कार का भी प्राविधान है। उत्कृष्ट कार्य के लिये श्री के.के.मिश्रा, जलकल विभाग के अवर अभियन्ता जो सेवानिवृत्त हो चुके है, उनकी सेवाओं हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से उन्हें रखा जाये। नगर निगम में संसाधनों व कर्मियों की कमी है। अतः अनुभवी कर्मियों की नियुक्ति की जाये। आउटसोर्सिंग के माध्यम से सफाई कर्मियों या आवश्यकतानुसार अन्य कर्मियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाये, जिससे समय से समस्याओं का समाधान एवं कार्यो का पर्यवेक्षण हो सके। संज्ञान में आया है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये कर्मियों का विगत तीन माह से भुगतान नही हुआ है। अतः भुगतान कराया जाये। जिन वार्डो में घरों से कूड़ा उठान नही हो रहा है, वहाँ से भी कूड़ा उठान सुनिश्चित कराया जाये। अध्यक्ष महोदय अंत्येष्टी स्थलों के सम्बन्ध में आप द्वारा दी गई व्यवस्था की शहर की जनता द्वारा भूरि–भूरि प्रसन्शा की जा रही है, उसी प्रकार आपसे अनुरोध है कि शहर में किन्नरों का भी आतंक व्याप्त है, उसके लिये भी कोई निति निर्धारित कर दी जाये।

ह0.....महापौर

श्री मो0 इरफान सोलंकी ने अवगत कराया कि सोसाइटी क्षेत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने बैठक बुलाई है। मा0 मंत्री नगर विकास से इसके सम्बन्ध में भी चर्चा की जा चुकी है तथा जल निगम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जो सड़कें खोद दी गई है, उसके सम्बन्ध में भी अलग से बैठक बुलाकर समाधान कराये जाने को आश्वस्त किया गया है।

अध्यक्ष ने पुनः यह स्पष्ट किया कि कानपुर नगर में विकास के लिये हम सभी चिन्तित है। अतः इसके दृष्टिगत अपेक्षा है कि सदन में सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को भी उत्तर प्रदेश सरकार मे ंउठाया जाये।

श्री सत्येन्द्र मिश्र ने कहा कि समस्याओं पर चर्चा हो रही है, इसके सम्बन्ध में समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित भी किया जायेगा। गृहकर निर्धारण नियमावली–2013 उ0प्र0 शासन द्वारा जो भेजी गई है, तदानुसार ही गृहकर निर्धारण किया जाना है। सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही वर्ष 2006 का जी.आई.एस. सर्वे जो वर्ष 2008 तक किया गया, उसके आधार पर गृहकर निर्धारण किया जा चुका है, जिससे भवन स्वामियों के गृहकर में कई गुना वृद्धि हो चुकी है। अतः वर्तमान की प्रस्तावित कर वृद्धि के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश शासन को यह कह कर वापस किया जाये कि दो वर्ष पर भवनों का मूल्यांकन व कर निर्धारण न किया जाये। घर–घर से कूड़ा उठाने के सम्बन्ध में भी कितना शुल्क भवन स्वामियों से लिया जायेगा इसके सम्बन्ध में भी नीति निर्धारित कर ली जाये, साथ ही आवासीय, व्यवसायिक, नर्सिंग होम्स, होटल, गेस्ट हाउस सभी के आँकड़ें नगर निगम मे ंउपलब्ध है, इन सभी के लिये कूड़ा उठान की दर तय कर ली जाये। कानपुर महानगर के मा0 सांसद डा0 मुरली मनोहर जोशी ने शहर के विकास के प्रति भी चिन्ता व्यक्त की है, कि शहर का विकास किस प्रकार किया जाये। विकास कार्यो हेतु कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत की जाये। उसी परिप्रेक्ष्य में नगर निगम द्वारा कारगिल पार्क के सौन्दर्यीकरण का प्रस्ताव, दादा नगर पुल के पास सड़क के निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने के लिये कहा गया, परन्तु नगर निगम द्वारा आज तक प्रस्ताव हस्तगत नही किया गया।

श्री सुनील कनौजिया ने कहा कि पिछले परिसीमन में वार्ड–25 के 23 मकानों को वार्ड–23 में जोड़ दिया गया तथा इसी प्रकार 300 मकानों को जूही बम्हुरहिया मे ंजोड़ दिया गया, जिससे उनके सामान्य कर में वृद्धि हुई, जबकि अनेकों बार मै शिकायत लेकर नगर निगम आया परन्तु उक्त परिसीमन को ठीक नही किया गया। अतः सदन के माध्यम से मैं आवाज उठाता हूँ कि वर्ष–2012 से उक्त का संशोधन करते हुये ही गृहकर के बिल वर्तमान में भेजे जाये।

श्री राकेश कुमार गुप्ता, अपर नगर आयुक्त ने कहा कि त्रुटिवश 200 से 250 मकान जो वार्ड–25 के स्थान पर वार्ड–23 में दर्शाये गये है, उसके लिये जोनल अधिकारी जोन–3 को पत्र लिखा गया है तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

अध्यक्ष ने व्यवस्था दी की तत्क्रम में पूर्व से ज्यादा वसूले गये गृहकर कर को वर्तमान में बिल में समायोजित किया जाये।

ह0.....महापौर

श्री मदन बाबू ने अपना परिचय देते हुये कहा कि मैं उस वार्ड में रहता हूँ जहाँ पर माँ गंगा अविरल बह रही है। केन्द्र सरकार एवं प्रान्तीय सरकार गंगा को स्वच्छ करने हेतु प्रयासरत है। इसी परिप्रेक्ष्य में संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि क्षेत्र की जनता गंगा किनारे खुले में शौच कर रही है। अतः या तो शौचालय बनवाये जाये या गंगा में जा रही गन्दगी को रोके जाने की व्यवस्था की जाये। सघन वृक्षारोपण कराया जाये तथा रूके विकास कार्यो को कराया जाये।

श्रीमती पूनम राजपूत ने शिकायत करते हुये कहा कि जल निगम द्वारा 08 हैण्डपम्प रिबोर के स्थान पर 04 लगवाये गये जिसमें पानी नही आ रहा है। इसके सम्बन्ध में कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, परन्तु कोई कार्यवाही नही की जा रही है। ओमपुरवा में सीवर की समस्या का समाधान नही किया जा रहा है। पिछले सदन की बैठक में दो–दो हैण्डपम्प लगाये जाने का निर्णय लिया गया था, वह नही लगे।

श्रीमती पूनम द्विवेदी ने कहा कि मेरे क्षेत्र में कई आवासीय भवनों को व्यवसायिक भवनों मे ंपरिवर्तित कर दिया गया है, परन्तु नगर निगम द्वारा उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही की जा रही है। कूड़ा घरों से कूड़ा नही उठाया जा रहा है, यदि कही से उठाते है तो पास में ही दूसरी जगह डाल देते है। नियमित कूड़ा न उठने से कूड़ा नालियों में जा रहा है। अतः कूड़ा घर बनवाये जाये और प्रत्येक वार्ड में 10–10 हैण्डपम्प लगवाये जाये। जल निगम के स्थान पर जलकल विभाग से हैण्डपम्प लगवाये जाये। जल निगम द्वारा बोरिंग कराई गई परन्तु ओवर हेड टैंक आज तक नही बनाया गया है। नो वेंडिंग जोन के बोर्ड लगे है परन्तु इसका अनुपालन नही दिख रहा है। अतः फेरी नीति के तहत बने चबूतरों का आवंटन किया जाये।

श्रीमती नीलम चौरसिया ने कहा कि आज हमारा शहर स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है, परन्तु न ही जनता में जागरूकता है और न ही विभागीय सामन्जस्य, इस पर कहना है कि नगर निगम द्वारा बनाई गई रू0 22.00 लाख से बनाई गई सड़क जल निगम द्वारा पानी की टेस्टिंग के दौरान ही रात में लीकेज के कारण कई जगह टूट गई। नगर निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भूमि का चिन्हांकन करते हुये दुकान, मकान बनाकर अपनी आय बढ़ाई जा सकती है, अपितु सामान्य कर में वृद्धि न की जाये, इससे जनता पर बोझ पड़ेगा। नगर निगम द्वारा विभिन्न वार्डो में लगने हेतु भेजा गया मार्गप्रकाश का सामान रास्ते में ही गायब कर दिया जाता है, इससे प्रकाश बिन्दु बन्द रह जाते है, इसकी जाँच कराई जाये। रैन बसेरों का दुरूपयोग रोका जाये।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि स्मार्ट सिटी में चयनित किये जाने हेतु नगर निगम के प्रयासों की सराहना की जानी चाहिये, परन्तु नगर निगम ने अधिकारियों/कर्मचारियों की सांठ–गांठ से कई प्रकार की अनियमिततायें भी क्षेत्रों में हो रही है, जैसे कि क्षेत्रों में जो चूने का छिड़काव किया जाता है, वह गन्ने की खोई का निकला हुआ होता है, न कि वास्तविक चूना। इससे कोई कीटाणु नही मर सकते है। मलेरिया विभाग द्वारा दवा का छिड़काव नही किया जाता है, फागिंग के लिये केवल धुँआ किया जाता है, जबकि वास्तविक मैलाथियान का मिश्रण नही किया जाता है। गोविन्दपुरी, दादानगर में पुलों पर सब्जी मण्डी लगती

है, यह जोनल अधिकारियों को नही दिखाई पड़ती, इससे फुटपाथ पर कब्जा होने के कारण प्रतिदिन यातायात बाधित होता है। पूर्व की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में हैण्डपम्प लगवाये जाये तथा पार्षदों को प्लाट आवंटित किये जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में नगर निगम की भूमि का चिन्हांकन करते हुये पार्षदों को प्लाट आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

श्री अशोक चन्द्र तिवारी ने कहा कि अभियान चलाकर फुटपाथ खाली कराये जाये, जिससे चारों ओर जाम की समस्या से नागरिकों को राहत मिल सके।

श्री महेन्द्र पाण्डेय ''पप्पू'' ने कहा कि कम्पनी बाग चौराहे से गंगा बैराज को जोड़ने वाली सड़क जो लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई थी, उसे भी जल निगम द्वारा खोद डाला गया है। अतः प्राथमिकता पर सड़क ठीक कराई जाये, जिससे नागरिकों को सुगम यातायात उपलब्ध हो सके। शासनादेश तो यह है कि जो संस्था सड़क खोदेगी, वही बनायेगी, परन्तु जल निगम की कार्य प्रणाली के दृष्टिगत अनुरोध करता हूँ कि जल निगम द्वारा खोदी गई सड़कों को नगर निगम से बनवाया जाये।

श्रीमती चित्ररेखा पाण्डेय ने कहा कि वार्ड–7 में नगर निगम द्वारा नाले को ऊँचा करके बनाये जाने से क्षेत्र में जलभराव हो रहा है तथा नाला निर्माण में प्रयुक्त सामग्री भी मानक के विपरीत लगाई गई है। क्षेत्र मे ंहो रहे पार्क निर्माण को पूर्णतः विकसित होने के उपरान्त ही ठेकेदार को भुगतान किया जाये।

अध्यक्ष ने मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया कि दिये गये वक्तव्य को संज्ञान में लेते हुये तद्नुसार कार्यवाही की जाये। यदि पार्क निर्माण में किसी प्रकार का अवरोध या विरोध हो तो पुलिस बल लेकर समाधान कराया जाये।

श्री राजेश सिंह ''पप्पी'' ने कहा कि वर्तमान निर्वाचित सदन में आपके नेतृत्व में इतना विकास कार्य हुआ है कि पूर्व निर्वाचित सदन कार्यकाल में कभी नही हुआ, इसके लिये ह्रदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। आवारा जानवरों को विशेष कर सुअरों को पुलिस बल के माध्यम से पकड़वाया जाये, क्योंकि सुअर बीमारियाँ फैला रहे है। अतः दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ इनके पकड़ने का अभियान चलाया जाये।

श्रीमती लाली गुप्ता ने कहा कि वार्ड में सीवर, नाली, सफाई एवं मार्गप्रकाश की समुचित व्यवस्था कराई जाये।

श्री आदित्य शुक्ला ने कहा कि पॉलीथीन के विरूद्ध नगर निगम द्वारा कोई कार्यवाही नही प्रारम्भ की गई है, जिससे सीवर एवं नालियाँ चोक होकर शहर में गन्दगी फैल रही है। पॉलीथीन में सामग्री भरकर नागरिकों द्वारा फेंक देने के कारण गाय उसे खा रही है, जिससे उनकी मृत्यु हो रही है। अतः अनुरोध

है कि पॉलीथीन को बन्द करने हेतु मुहिम चलाई जाये, साथ ही सभी सदस्यों को सुझाव देना चाहता हूँ कि कोई भी विधायक हो या पार्षद उसकी बात पहले सुनी जाये, तब उस पर अपना समय मिलते ही वक्तव्य के माध्यम से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाये।

श्री सुमित सरोज ने कहा कि नगर निगम कैटिल कैचिंग विभाग के निष्क्रिय होने से आवारा जानवरों के कारण क्षेत्रों में दुर्घनायें हो रही है तथा यातायात बाधित हो रहा है। उद्यान विभाग को कई बार मेरे द्वारा पत्र लिखे गये कि सूखें पेड़ काटकर रखवा लिये जाये, जिससे सर्दियों में क्षेत्रों में अलाव जलवाये जा सकते है। हैण्डपम्प अधिष्ठापन पर उचित कार्यवाही की जाये। पार्षदों को भत्ता दिया जाये, जिसे जरूरत न हो वह न ले। नगर निगम की रिक्त पड़ी भूमि/सम्पत्ति का चिन्हांकन क्षेत्रीय पार्षद के सहयोग से करते हुये दुकान/बारातशाला बनवाया जाये। नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु समय–समय पर जोनल अधिकारियों के साथ बैठक की जाये।

अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाने के पश्चात् पुनः उसी स्थल पर अतिक्रमण होना, इसमें पुलिस का संरक्षण रहता है, जबकि शासनादेश भी निर्गत हुआ है कि अतिक्रमण हटाये जाने के पश्चात् पुनः अतिक्रमण होने पर क्षेत्रीय पुलिस जिम्मेदार होगी। इस प्रकार की नगर निगम की अनेक समस्याओं को समाधान हो सकता है, यदि प्रदेश सरकार द्वारा 74वाँ संविधान संशोधन लागू कर दिया जाये, इससे क्षेत्रीय पार्षदों के अधिकारों में भी वृद्धि होगी।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि शहर को स्मार्ट सिटी बनाये जाने से पूर्व सीवर समस्या का समाधान कराया जाये, इसके हेतु धन की विशेष व्यवस्था की जाये। यातायात तथा सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाये। विकास कार्यो के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षित करना चाहता हूँ कि अनेक ठेकेदारों द्वारा 15 प्रतिशत निम्न की निविदायें डालकर कार्य तो प्राप्त कर लिया गया है, परन्तु प्रारम्भ नही किया गया है। अतः शहर के विकास के दृष्टिगत जिन ठेकेदारों द्वारा तीन माह तक एग्रीमेन्ट नही कराया गया है तथा कार्य को रोक रखा गया है, उनके विरूद्ध कार्यवाही करते हुये उनका पंजीयन समाप्त कर दिया जाये। समाचार पत्रों के माध्यम से कुत्तों एवं बन्दरों के आतंक के समाचार प्रकाशित हो रहे है। अतः इनके पकड़ने की व्यवस्था की जाये। फूलबाग में कुत्तों के बंध्याकरण करने का कार्य प्रारम्भ नही किया गया है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में 05–05 अतिरिक्त सफाई कर्मी दिलाये जाये, जिससे वार्ड में सफाई की समुचित व्यवस्था हो सके।

श्री अब्दुल जब्बार ने कहा कि मेरे वार्ड में सीवर लाईन नही है। इसके लिये जलकल विभाग द्वारा निविदा होने पश्चात् भी कोई कार्यवाही नही कराई गई है। शौकत अली पार्क का सौन्दर्यीकरण कोयला मंत्रालय के सी.एस.आर. फण्ड से कराया गया, परन्तु आज भी मार्गप्रकाश के बिन्दु नही लगाये गये है। जल निगम द्वारा पानी की लाईन सही ढंग से नही डाली गई है। सीसामऊ नाला रोड होते हुये गन्दा नाला गया है, उसकी सही ढंग से सफाई नही हुई, जिससे जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है, अतः इसकी सही ढंग से सफाई कराई जाये, आपकी मेहरबानी होगी।

ह0.....महापौर

अध्यक्ष ने विभागीय अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया कि सदस्यों द्वारा अवगत कराई जा रही समस्याओं को नोट करते हुये उनका समाधान कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसी परिप्रेक्ष्य में महाप्रबन्धक, जलकल व मुख्य अभियन्ता (वि0/याँ0) को कार्यवाही के निर्देश दिये।

श्री संजीत सिंह कुशवाहा ने कहा कि मेरे वार्ड में कोई भी पार्क नही है। मार्गप्रकाश विभाग में कर्मियों की कमी है, परिणाम स्वरूप चारों तरफ अंधेरा व्याप्त है। लगभग 500–600 एकड़ नगर निगम की जमीन मेरे वार्ड में पड़ी है, उसमें गेस्ट हाउस, गोदाम या दुकान बना दिये जाये, तो नगर निगम की आय में वृद्धि होगी।

श्री मो0 शमीम आजाद ने कहा कि पॉलीथीन शहर की मुख्य समस्या है, इसकों मोतीझील परिसर में प्रतिबन्धित किया गया, इसके लिये धन्यवाद्। इसी प्रकार पूरे शहर में प्रतिबन्धित किया जाये, जिससे अनेक समस्याओं का समाधान हो जायेगा। अवैध चट्टों को हटाने की भाँति 110 वार्डो में पॉलीथीन हटाने का अभियान चलाया जाये। सर्वप्रथम पॉलीथीन की सामग्री निर्माण करने वाली लगभग 128 जो फैक्ट्रियाँ है, उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये। कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगह एक्वायर की गई जिस पर हसन के मकान से आनन्द मैटीरियल के पास स्थित मस्जिद के पास तक बनाई गई सड़क की जाँच की जाये, यदि स्थल परिवर्तन किया गया हो, तो भी अवगत कराया जाये। लाल बंगला चौराहे से के.डी.ए. चौराहा होते हुये मदीना मस्जिद तक नगर निगम द्वारा सड़क बनाई गई है, परन्तु पत्थर पर स्मैकियों का नाम लिखा है, जबकि क्षेत्रीय पार्षद एवं मा0 महापौर का नाम नही लिखा है। अध्यक्ष महोदय पूर्व में आप द्वारा पत्थरों पर नाम लिखाये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई थी, कि किस निधि में किसका नाम होना चाहिये, उसी प्राविधानित व्यवस्था के तहत गलत तरीके से लगाये गया पत्थर तोड़ा जाये। क्या कोई नागरिक कहीं पत्थर पर अपना नाम लिखा सकता है, इसे भी स्पष्ट किया जाये। नगर निगम द्वारा प्रारूप तैयार कराया गया, परन्तु नगर निगम का नाम न लिखा होना चिन्ताजनक हैं। निर्धारित जोनों में एक–एक लाख की पत्रावलियाँ बनाकर कार्य कराये जा रहे है तथा मार्गप्रकाश की सामग्री स्थल पर नही पहुँच पा रही है, इसकी जाँच कराई जाये। स्थल पर प्रकाश बिन्दु लगाकर क्षेत्रीय पार्षद से सत्यापन कराने की व्यवस्था पूर्व में निर्धारित की गई थी, परन्तु इसका अनुपालन न करते हुये विधायक या अन्य किसी के प्रतिनिधि को सामग्री दिये जाने से अव्यवस्था व्याप्त हो रही है। अभियन्त्रण का कार्य सराहनीय है, चारों तरफ अपेक्षित विकास कार्य कराये गये है, परन्तु सुझाव देना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम नाली का निर्माण कराने के पश्चात् ही सड़के बनाई जाये और आवश्यकतानुसार गति अवरोधक भी बनाये जाये। अध्यक्ष ने मुख्य अभियन्ता को स्थलीय निरीक्षण कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि पूर्व में दी गई व्यवस्था के तहत अवस्थापना निधि एवं 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये कार्यो में ही विधायक का नाम लिखा जा सकता है।

ह0.....महापौर

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि आप द्वारा दी गई व्यवस्था का अनुपालन होगा, यह संदेहास्पद है। क्योंकि पूर्व में 09 नम्बर क्रॉसिंग वाली सड़क का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेई तथा गंगा बैराज जाने वाली सड़क के शेष भाग में पं0 मदन मोहन मालवीय के नाम का पत्थर आज तक नही लगा है। मार्गप्रकाश विभाग में भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों को रखने की व्यवस्था की जाये। झोपड़ पट्टियों को हटाने की बजाय फुटपाथों का अतिक्रमण नगर निगम द्वारा हटाया जाये तथा सदन की बैठकों में लिये गये निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। मेरे वार्ड की चार गलियों में सीवर नालियों से बह रहा है, सुपर सकर मशीन लगाकर डीसिल्टिंग के लिये कई बार कहा गया, परन्तु ऐसा न करके सीवर लाईन नही चालू कराई गई। स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत 98 शहरों के क्लब में चयनित उ0प्र0 के नामित 13 शहरों में कानपुर नगर नामित किये जाने हेतु आपकों एवं नगर निगम अधिकारियों को धन्यवाद् देना चाहता हूँ। जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना जल निगम के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, उसी प्रकार स्मार्ट सिटी की दशा न हो, इस पर ध्यान दिया जाये। हाउस टैक्स बढ़ाने हेतु शासन की मंशा के अनुसार प्रस्तावित किया जा रहा है, परन्तु उसका विकल्प होगा कि अवशेष छूटे हुये भवन गृहकर की परिधि में लाये जाये। विभिन्न क्षेत्रों में नगर निगम की रिक्त पड़ी भूमि का सदुपयोग करते हुये आय के श्रोत बढ़ाये जाये।

श्री वीरेन्द्र शर्मा ने कहा कि जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र गरीबों के लिये निःशुल्क दिया जाने की व्यवस्था की जाये। क्षेत्र के खराब पड़े मूत्रालय की मरम्मत कराई जाये। निविदा होने के पश्चात् भी कार्य प्रारम्भ नही होते है, इस पर कार्यवाही की जाये। बिरहाना रोड में चोंक सीवर लाईन ठीक कराई जाये। जलकल विभाग में की गई शिकायतों का निस्तारण कराया जाये।

श्री राज किशोर ने कहा कि हर वार्ड में विकास कार्यो में एक रूपता लाई जाये। छोटे–छोटे कार्यो को कराने हेतु रू0 एक–एक लाख की पत्रावलियाँ तैयार कराई जा रही है। समस्याओं का कारण है हर विभाग में कर्मचारियों की कमी, इस पर ध्यान दिया जाये। जलकल विभाग द्वारा 35मी0 लाईन जोड़कर पानी की लाईन डालते हुये जलापूर्ति की जा सकती है। नगर आयुक्त द्वारा खूब विकास कार्य कराये गये, उसी क्रम में पुनः वर्तमान के नगर आयुक्त द्वारा भी विकास कार्य कराये जाये। प्रत्येक वार्ड में 02–02 सफाई कर्मी दिलाये जाये।

सुश्री लक्ष्मी कनौजिया ने कहा कि मेरे वार्ड में चट्टे अधिक है, चट्टों का गोवर सीवर में बहाये जाने के कारण सीवर लाईन चोंक हो जाती है, जिससे जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः प्राथमिकता पर चट्टा मालिकों पर कार्यवाही की जाये। विगत दिनों मैगजीन घाट में एक बालक की मृत्यु हो गई थी। अतः महोदय अनुरोध है कि मैगजीन घाट पर सीढ़ियाँ बनवा दी जाये, जिससे दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो। पनकी स्थित कछुआ तालाब का सौन्दर्यीकरण कराया जाये।

ह0.....महापौर

श्री ओमप्रकाश वाल्मीकि ने कहा कि शहर में लगभग 02 लाख से अधिक भवन कर के दायरे में नही है। जिस क्षेत्र में रह रहा हूँ वहीं के लगभग 200 मकान कर के दायरे में नही है। अतः सामान्य कर की प्रस्तावित वृद्धि स्थान पर इन भवनों को कर के दायरे में लाया जाये। सफाई कर्मियों एवं अन्य कर्मियों के सेवानिवृत्त होने के कारण प्रत्येक विभाग में कर्मियों की कमी है। विगत दिनों गाड़ी बैक करने में एक बालक की मृत्यु हो गई थी, उदाहरण देना चाहता हूँ कि वर्कशॉप में पूर्व में प्रत्येक गाड़ी में चालक के साथ हेल्पर भी नियुक्त होता था, जो गाड़ी को बैक कराने में चालक की मदद करता था, परन्तु जिस वाहन से दुर्घटना हुई उसका परिणाम हेल्पर का न होना ही है। अतः सभी विभागों में नियुक्तियाँ की जाये। जलकल विभाग के पास न ही संसाधन है और न ही अतिरिक्त आय के श्रोत। अधिकारियों का आपसी सामन्जस्य भी नही है, क्योंकि महाप्रबन्धक जलकल से कहने पर कहा जाता है कि सचिव से बात कर ली जाये और सचिव से कहने पर महाप्रबन्धक से बात करने के लिये कहा जाता है।

श्री अब्दुल कलाम ने कहा कि मेरे वार्ड में विकास कार्य नही कराये गये। कार्यो की पत्रावलियाँ तैयार की गई यथा भन्नानापुरवा से हाशमी तिराहे तक की सड़क, चन्द्रिका देवी से हलीम मुस्लिम तक की सड़क व नाली निर्माण तथा बारातशाला, परन्तु निविदायें नही आमंत्रित की गई। सीवर लाईनें जो चोंक है, यदि उनकी सफाई करा दी जाये तो नालियों में मल का बहना बन्द हो जायेगा। हैण्डपम्प लगवाये जाये।

श्री कैलाश पाण्डेय ने कहा कि जिस तरह भैरवघाट में अन्तिम संस्कार के सम्बन्ध में पंडों के प्रति नीति निर्धारित की गई है, उसी प्रकार सिद्धनाथ घाट में भी व्यवस्था तय की जाये। 13वें वित्त आयोग की धनराशि में से जलकल विभाग को भी धनराशि दी जा चुकी है, परन्तु एक वर्ष के पश्चात् भी आज तक सीवर लाईन नही चालू की जा सकी है। सिद्धनाथ घाट में गणेश महोत्सव के पश्चात् मूर्ति विसर्जन के समय संध्याकाल में प्रकाश की व्यवस्था न होने के कारण एक नाँव डूब जाने के कारण नौ लोगों की मृत्यु हो गई थी। अतः वहाँ पर मार्गप्रकाश विभाग से समुचित प्रकाश की व्यवस्था कराई जाये। वाजिदपुर तथा वायुविहार का परिसीमन ठीक कराया जाये।

श्रीमती आशा तिवारी ने कहा कि मेरे क्षेत्र प्राइवेट सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। वहाँ पर सड़कों की जगह बड़े–बड़े गड्ढे है, उन पर पक्का मलवा डलवाया जाये, मार्गप्रकाश बिन्दु लगवाये जाये तथा हैण्डपम्प नही है, अधिष्ठापित कराये जाये।

श्री लक्ष्मीशंकर राजपूत ने कहा कि दक्षिण क्षेत्र स्थित मेरे वार्ड में पेट्रोल लाईन पड़ जाने के कारण सीवर एवं नालियाँ बनाने में दिक्कत आ रही है। अतः केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर शहर के बाहर लाईन डलवाई जाये। लिंक मार्गो को ठीक कराया जाये। वार्ड स्थित सम्पवेल में उच्च क्षमता की मशीन डाली जाये, जिससे वार्ड–55, 58 एवं 48 की आ रही सीवर लाईन शीघ्र खाली जा सके। वार्ड–48 में मेरे वार्ड का कुछ अंश जड़ा है, उसका परिसीमन ठीक कराया जाये। दीपावली जैसा प्रकाश का पर्व व्यतीत हो चुका लेकिन मार्गप्रकाश विभाग द्वारा मेरे क्षेत्र के प्रकाश बिन्दु नही चालू किये गये। मूत्रालय बनवाया

जाये तथा पुलिया क्रास बनाकर जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाये। उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रदत्त टी.एफ.सी. एवं अवस्थापना निधि की धनराशि से अवगत कराया जाये, जिससे तदानुसार मेरे वार्ड में कार्य हो सके।

श्री राकेश साहू ने कहा कि पार्षदों को प्लाट आवंटित किये जाये, बन्दरों को पकड़ने के लिये सुझाव देते हुये कहा कि नकली बन्दर की प्रति मंगाकर बन्दरों को पकड़ा जाये। पार्को का सौन्दर्यीकरण कराया जाये।

श्री योगेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि नाला निर्माण में लेविल का ध्यान रखते हुये दूसरे नाले से मिलाया जाये, जिससे क्षेत्र की समुचित जल निकासी हो सके।

श्री रामौतार प्रजापति ने कहा कि प्राइवेट संस्थाओं द्वारा रात में रोड कटिंग कर दी जाती है, अतः अनापत्ति की प्रति क्षेत्रीय पार्षद को भी उपलब्ध कराई जाये, जिससे उसके संज्ञान में भी रह सके कि कौन सी सड़क काटी जानी है। बिना अनापत्ति के काटी गई सड़क के प्रति सम्बन्धित संस्था के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। प्रकाश बिन्दु लगाने के लिये पत्रावली बनी, परन्तु कार्यवाही नही हुई। मेरे वार्ड में छठ पूजा का आयोजन विशेष रूप से किया जाता है, जिसके लिये मैंने स्वास्थ्य विभाग से 05 सफाई कर्मियों की माँग की थी, परन्तु वह नही मिले।

श्री आदर्श दीक्षित ने कहा कि रिलायन्स कम्पनी द्वारा 04जी सेवा उपलब्ध कराने हेतु शहर में रोड कटिंग की जा रही है और इनके विरूद्ध शिकायत करने पर शासन की अनुमति दिखा कर शांत कर देते है, जबकि नगर निगम की भी अनापत्ति होनी चाहिये। सदन के माध्यम से माँग करता हूँ कि जलकल विभाग में भी नगर निगम की भाँति जल कर व सीवर कर की दरों का पुर्ननिर्धारण किया जाये। रिलायन्स द्वारा कराई जा रही रोड कटिंग के सापेक्ष शहर के चार पार्को का सौन्दर्यीकरण कराये जाने की नगर निगम द्वारा व्यवस्था दी गई थी, यह भी कहा गया था जब सर्वप्रथम चार पार्को को विकसित कराया जाये तत्पश्चात् ही दूसरे कार्य कराये जाये। अभियन्त्रण खण्ड के छोटे–छोटे कार्यो को कराये जाने हेतु अधिशाषी अभियन्ता को वित्तीय अधिकार दिया जाये। जल निगम की खुदाई के कारण एक ब्लाक दूसरे ब्लाक से 10 वर्षो से कटा हुआ है, इससे क्षेत्रीय नागरिकों को बहुत ही असुविधा हो रही है। सर्वप्रथम इसकी मरम्मत कराई जाये। नगर आयुक्त से अपेक्षा है कि क्षेत्र भ्रमण किया जाये तो शहर लाभांवित होगा।

श्री आबिद अली ने कहा कि मेरे वार्ड स्थित मस्जिद के पास गड्ढे है, उन्हें ठीक कराया जाये।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि जल निगम की कार्यप्रणाली के कारण कानपुर नगर की विभिन्न सडकें जगह–जगह खुदी पड़ी है, जिससे नागरिकों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः अध्यक्ष महोदय इनसे सड़क व खुदाई के सम्बन्ध में निश्चित समय तक कर लिया जाये कि कब तक इनके द्वारा कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

अध्यक्ष ने कहा कि इस सम्बन्ध में अलग से बैठक आहूत कर ली जायेगी तथा नगर आयुक्त से सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों/समस्याओं के सम्बन्ध में अवगत कराने के लिये निर्देश दिये।

नगर आयुक्त ने अध्यक्ष महोदय से कहा कि मेरे द्वारा सदस्यों के माध्यम से अवगत कराई गई समस्याओं को मैंने नोट किया है और तद्नुसार विभागीय कार्यवाही कराई जायेगी। यथा श्री अतुल त्रिपाठी द्वारा सिक्योर कम्पनी के द्वारा हैण्डपम्प अधिष्ठापन के सम्बन्ध में की गई शिकायत की जाँच कराई जायेगी, डोर–टू–डोर कूड़ा उठान सुनिश्चित किया जायेगा। घाटों में सीढ़ियाँ बनवाई जायेंगी, पार्को में विकास हेतु उद्यान अधिकारी को निर्देशित किया जायेगा, जल निगम द्वारा किये गये रिबोर हैण्डपम्पों के सम्बन्ध में की गई शिकायत की भी जाँच की जायेगी, कर की परिधि से छूटे भवनों को कर की परिधि में लाया जायेगा, फेरी नीति के तहत चबूतरों का आवंटन कराया जायेगा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराई जा रही फागिंग की भी यथोचित जाँच कराई जायेगी, जलकल विभाग में धनाभाव है, 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत हैण्डपम्प अधिष्ठापन पर कार्यवाही कराई जायेगी, फुटपाथ खाली कराने की कार्य योजना तैयार कर अतिक्रमण अभियान चलाया जायेगा, जल निगम द्वारा कराई जा रही रोड कटिंग के समाधान हेतु मुख्य अभियन्ता के माध्यम से कार्यवाही कराई जायेगी, वार्ड–7 के पार्क की शिकायत का समाधान कराने हेतु मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया जायेगा, आवारा जानवरों को पकड़ने के लिये पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित कर कार्यवाही की जायेगी, पॉलीथीन समस्या के समाधान हेतु नीति निर्धारण किया जायेगा, एक सप्ताह के अन्दर नगर निगम की सम्पत्तियों का चिन्हांकन जोनल अधिकरियों के माध्यम से कराया जायेगा, 15 प्रतिशत निम्न निविदाओं को डालने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध कार्यवाही कराई जायेगी, प्रकाश बिन्दु चालू कराये जायेंगे, पत्थरों में नाम लिखवाने के सम्बन्ध में पूर्व पारित निर्णय का अनुपालन कराया जायेगा, रू0 एक–एक लाख के कार्यो की पत्रावलियों का भी परीक्षण किया जायेगा, नामकरण प्रस्तावों पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, सीवर समस्या का यथा सम्भव समाधान कराया जायेगा, सिद्धनाथ घाट में भी भैंरवघाट की तरह अंत्येष्टी संस्कार की व्यवस्था की जायेगी, विशेष रूप से अतिक्रमण अभियान चलाकर सुगम यातायात किये जाने की कार्य योजना तैयार की जायेगी। तद्नुक्रम में विभागाध्यक्षों को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये।

मुख्य अभियन्ता (वि0/याँ0) ने कहा कि मा0 सदन में सदस्यों द्वारा शिकायतें की गई है, उनका निरीक्षण/परीक्षण करते हुये यथासम्भव समाधान निकाला जायेगा। जैसा कि आप सभी जानते है कि मानव बल की कमी है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों को रखने हेतु प्रस्तावना तैयार की गई है

तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। बजट के आधार पर मलिन बस्तियों में विद्युत खम्भें लगाने का प्राविधान किया गया है। हर विद्युत सामग्री में कम्पनी का नाम एवं मूल्य प्रिंटेड रहता है, फिर भी की गई शिकायत की जाँच कराई जायेगी।

मुख्य अभियन्ता 'सिविल' ने कहा कि शहर की समस्याओं के समाधान हेतु प्रतिपल तत्पर रहता हूँ तथा सभी सदस्यों को सर्वसुलभ रहता हूँ, जो अनुबन्ध होने के बावजूद कार्य प्रारम्भ न करने की शिकायत की है, उसके सम्बन्ध में मेरे द्वारा निविदा नोटिस में शर्त डाल दी गई है, कि जिन ठेकेदारों ने अनुबन्ध कराने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ नही किया है वह अगले कार्य की निविदा डालने हेतु अर्ह नही होंगे। जल निगम द्वारा कराई जा रही रोड कटिंग के सम्बन्ध में जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त महोदय के यहाँ बैठक आहूत की जाती है, तद्नुसार उन्हीं के द्वारा निर्णय भी पारित किये जाते है। सड़क निर्माण से पूर्व जल निगम को तालिका प्रेषित करते हुये जानकारी प्राप्त कर ली जाती है, कि वर्णित सड़कों में उनके विभाग द्वारा सीवर/पाइप लाइन तो नही डाली जानी है। शासनादेश मे प्राविधानित व्यवस्था के तहत उल्लिखित है कि जो संस्था रोड काटेगी, वही बनायेगी। इसे पूर्व में नगर निगम द्वारा सड़कों की मरम्मत कराई जाती रही है। तत्समय भारत सरकार, उ0प्र0 शासन एवं नगर निगम की पूर्व निर्धारित सहभागिता के तहत जल निगम को सीवर एवं पानी की लाईन डालने हेतु धनराशि भी उपलब्ध कराई गई, जिसके समायोजन के पश्चात् नगर निगम का ही लेना निकलता है। परन्तु वर्तमान में जल निगम द्वारा रू0 61.31 करोड़ की धनराशि माँगी जा रही है, जो नगर निगम द्वारा दिया जाना सम्भव नही है।

श्री सत्येन्द्र मिश्र ने कहा कि मोतीझील से बीच वाले मन्दिर, अशोक नगर तक लगभग 600 मीटर सीवर लाईन डालने हेतु 57 बार सड़क को खोदा गया। जल निगम द्वारा शहर की सडकों को खोद का नर्क बना दिया गया है, यू कहें कि पाप करें जल निगम और भोगे नगर निगम।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि जल निगम का केवल 15 करोड़ बकाया है। जल निगम द्वारा फेस–1 का ही कार्य नही पूर्ण किया गया है और फेस–2 की कार्य योजना तैयार की जा रही है। केवल लागत बढ़ाते रहते हे, कार्यो मे मानक का ध्यान नही रखा जाता। उसी का परिणाम है कि पानी की टेस्टिंग के दौरान ही सड़कों में पानी के फव्वारे छूट जाते है। चन्द्रिका देवी वाली सड़क में सीवर लाइन का संयोजन नही किया जा सका है।

श्री राकेश कुमार गुप्ता, अपर नगर आयुक्त ने कहा कि सदस्यों द्वारा अतिक्रमण के सम्बन्ध में की गई शिकायत पर कार्य योजना तैयार करते हुये अतिक्रमण हटाया जायेगा। परिसीमन की त्रुटियों को ठीक किया जायेगा साथ ही छूटे हुये भवनों को कर की परिधि में लाया जायेगा।

महाप्रबन्धक, जलकल ने सदस्यों के अवगत कराया कि जल संस्थान में सीमित संसाधन एवं मानव बल की कमी है। सीवर कर एवं जलकर वसूल कर प्राप्त धनराशि से शिकायतों का निस्तारण कराने का यथासम्भव प्रयास किया जाता है। श्री अतुल कुमार त्रिपाठी द्वारा मे0 सिक्योर कम्पनी के विरूद्ध की गई शिकायत की जाँच कराते हुये कमियों को ठीक कराया जायेगा और यदि पुनः कोई शिकायत प्राप्त होगी तो उस भी कार्यवाही की जायेगी। क्षेत्रों की समस्याओं

के दृष्टिगत सुपर सकर मशीन का सीवर सफाई हेतु उपयोग किया जायेगा। सभी सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि की गई शिकायतों का स्वयं परीक्षण करते हुये कार्यवाही करेंगे।

श्री महेन्द्र पाण्डेय ने कहा कि जलकल विभाग द्वारा सही ढंग से हैण्डपम्प अधिष्ठापित नही किये जा रहे है। पूर्व में नगर निगम के मे0 मेवालाल कनौजिया एवं बाजपेयी एण्ड कम्पनी के द्वारा जो हैण्डपम्प लगाये गये वह आज भी पानी दे रहे है।

जल निगम के अभियन्ता ने कहा कि रिबोर हैण्डपम्प के सम्बन्ध में की गई शिकायत का स्थलीय सत्यापन करते हुये उनकों ठीक करायेंगे तथा उनके प्लेटफार्म भी बनवायेंगे।

श्री वर्मा अभियन्ता ने अवगत कराया कि ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की टेस्टिंग की जा रही है। 104 किलो मीटर की फीडर मेन लाईन पड़ चुकी है, यथाशीघ्र जलापूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने सदस्यों को अवगत कराया कि कानपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण हेतु स्थल का चयन किया जा रहा है, तद्नुसार पी.पी.पी. मॉडल पर शौचालय निर्मित कराये जायेंगे। आवश्यकतानुसार कूड़ा कन्टेनर रखवाये जायेंगे।

नगर आयुक्त ने सदस्यों को स्पष्ट कि स्वच्छ भारत मिशन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा धनराशि निर्गत की गई है, तद्नुसार आप शौचालय निर्माण हेतु तालिका दे सकते है। लगभग 200 शौचालयों का निर्माण किया जाना है।

श्री ए.के.सिंह पशु चिकित्साधिकारी ने अवगत कराया कि एक ही काँजी हाउस है जिससे पशुओं को रखने में कठिनाई होती है, इसके अतिरिक्त काँजी हाउस का निर्माण कराया जायेगा। एक सप्ताह में कुत्तों का बंध्याकरण कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया जायेगा, बन्दरों के पकड़ने की नगर निगम में कोई व्यवस्था नही है।

श्री मो0 शमीम आजाद ने कहा कि सुअर के स्थान पर कैटिल कैचिंग विभाग गाय पकड़ रहा है।
श्री ए.के.सिंह ने कहा कि सुअर पकड़ने के अभियान में जाने पर सुअर पाल धमकाते है एवं हमला भी कर देते है।
अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि बिना पुलिस बल के सुअर अभियान न चलाया जाये।
नगर आयुक्त ने कहा कि जिलाधिकारी की बैठक में पुलिस सुरक्षा हेतु चर्चा की जायेगी।
अध्यक्ष ने कहा कि पार्षदों द्वारा विचारों का अदान–प्रदान किया गया, तद्नुक्रम में अधिकारियों द्वारा दिये गये जवाब के लिये धन्यवाद्। प्रारम्भ में थोड़ा व्यवधान कतिपय कारणों से आया।

ह0.....महापौर

श्री अशोक चन्द्र तिवारी ने आज की बैठक के सफल संचालन हेतु अध्यक्ष को इस आशय के साथ धन्यवाद् दिया कि शीघ्र ही पुनः सदन की आहूत होगी।

अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से आज दिनांक–21.11.2015 को सम्पन्न हुई सदन की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि हेतु अपना–अपना अभिमत व्यक्त करने हेतु कहा।

..... सभी सदस्यों ने आज दिनांक–21.11.2015 को सम्पन्न हुई सदन की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की।

अन्त में राष्ट्रगान के पश्चात् बैठक की कार्यवाही का समापन हुआ।

ह0.....

(जगतवीर सिंह द्रोण)
महापौर/अध्यक्ष

ह0.....महापौर